Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

गोंड जनजाति

प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 05

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

Chhattisgarh TRTI

TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

गोंड

जनजाति में प्रथागत कानून

निर्देशन : शम्मी आबिदी IAS

प्रतिवेदन : डॉ. रूपेन्द्र कवि

डॉ. राजेन्द्र सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ
अध्याय - 1	परिचय	1
अध्याय - 2	गोंड जनजाति : परिचय एवं उत्पत्ति	5
अध्याय - 3	राजनीतिक संगठन	8
अध्याय - 4	भौतिक संस्कृति एवं प्रथागत कानून	21
अध्याय - 5	जीवन संस्कार एवं प्रथागत कानून	37
अध्याय - 6	सामाजिक संरचना एवं प्रथागत कानून	43
अध्याय - 7	आर्थिक जीवन एवं प्रथागत कानून	48
अध्यााय - 8	धार्मिक जीवन एवं प्रथागत कानून	52
अध्याय - 9	दैनिक जीवन से संबंधित प्रथागत कानून	58
अध्याय - 10	निष्कर्ष	00

अध्याय - 1

परिचय

1.1 प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत(2011) भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन–सहन, संस्कृति को अपनाये हुये निवासरत हैं। इस मानव समुदाय को नेटिव, वनवासी, वन्यजनजाति, देशज, आदिम जाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है। इनमें से प्रत्येक समुदाय का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति आदि पायी जाती है। यह मानव समुदाय अपने प्राकृतिक निवास क्षेत्र में आदिकाल से निवासरत है। इन जनजातीय समाजों के विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये भारतीय संविधान में विशेष संरक्षित एवं विकासीय प्रावधान किये गये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा इन जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

प्रत्येक समाज में सामाजिक संरचना की सुव्यवस्था एवं शांति स्थापित करने के लिये नियम तथा नियमों का पालन कराने के लिये सामाजिक व्यवस्था होती है। आधुनिक समाज में यह कार्य कानून न्याय तथा सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। आधुनिक समाज में कानून तथा न्याय व्यवस्था लिखित है किंतु आदिम समाज में यह व्यवस्था अलिखित तथा परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हुई आ रही है।

समाज में मानवीय क्रिया–कलापों के दौरान समाज के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने के लिये अनेक सामान्य नियम या व्यवहार या रीति प्रचलित हो जाते हैं, जिसे उस समाज के अधिकांश लोग मानते हैं। जिसे सामाजिक वैज्ञानिक जनरीति कहते हैं। यह जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रत्येक पीढ़ी में इसका सफल अनुभव इसे और भी अधिक दृढ़ तथा सर्वमान्य बना देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित सामाजिक मान्यता प्राप्त जनरीति प्रथा कहलाती है। धीरे–धीरे यह प्रथा अत्यधिक दृढ़ तथा सर्वमान्य हो जाती है। इस सामाजिक प्रथा के पालन न करने वाले को जब दंड देने की व्यवस्था किया जाता है तब प्रथा के नियम विधि या कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आदिम समाज में प्रथा आधारित नियमों को प्रथागत विधि या कानून कहा जाता है। आदिम समाज हो या आधुनिक समाज इनमें प्रचलित कानून का आधार प्रथा और जनरीतियां ही रही हैं।

आधुनिक कानून का आधार प्रारंभिक जनरीतियां या प्रथायें या सामाजिक प्रथायें ही रही हैं किंतु विकासीय स्तर तथा सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण आदिम समाज की प्रथायें रीति–रिवाज अन्य समाजों से अलग हैं। इनका समावेश आधुनिक कानून में नही हो पाया है। इनके प्रथाओं से आधुनिक विधिविज्ञों की अनभिज्ञता तथा आधुनिक कानून से आदिम समाज की अनभिज्ञता के कारण अनेक जनजातियां अपने प्रथागत रीति तथा संस्कृति का समुचित रूप से पालन करते हुये आधुनिक कानून के दृष्टि से अपराध की

श्रेणी में आता है। उदाहरणार्थ–अनेक आदिम समाज में बहु पत्नी विवाह प्रचलित है। इसी प्रकार हरण विवाह, विवाह की प्रथागत विधि है किंतु आधुनिक कानून की दृष्टि में इसे अपराध की श्रेणी में रखते हुये दंड की व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार अनेक ऐसे रीतियां आदिम समाज में प्रचलित हैं जो आधुनिक कानून की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आते हैं।

इस प्रकार आदिम समाज की प्रथागत विधियों का अध्ययन संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य सरकारों को उसके हितों की संरक्षण की जो दायित्व सौंपे गये हैं। उसके यथोचित पालन की दृष्टि से आदिम समाज की प्रथाओं तथा प्रथागत कानूनों की जानकारी शासन तथा विधि विशेषज्ञों को होना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा जनजातीय सदस्य आधुनिक कानून के कारण दोषी या अपराधी सिद्ध होकर दंडित हो सकते हैं।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं :–

1. गोंड जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. गोंड जनजाति के परंपरागत तथा वर्तमान राजनीतिक संगठन व कार्य प्रणाली का अध्ययन करना।
3. गोंड जनजाति में प्रचलित प्रथागत कानून का अध्ययन करना।

1.3 अध्ययन का महत्व

आदिम समाज के प्रथागत कानून का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिम समाज के प्रथागत कानून के ज्ञान के अभाव में पुलिस, न्यायालय एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों को जनजातियों के प्रकरण में समुचित तथा विधि संगत न्याय करने में कठिनाई होती है। इससे कई बार जनजातीय सदस्य पुलिस यातनाओं के शिकार एवं न्यायालय के प्रकरण के दायरे में आ जाते हैं। इन कारणों से शासन के विरूद्ध असंतोष व्याप्त हो जाता है। अतःउपरोक्त स्थिति को देखते हुये जनजातियों के प्रथागत कानून का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जिससे इन प्रथागत कानून से पुलिस, न्यायालय व शासन को अवगत कराया जा सके। जिससे जनजातियों से संबंधित प्रकरणों पर विचार करते समय उनके परंपरागत नियमों, प्रथागत कानून को ध्यान में रखा जाय व जनजातियों को उचित न्याय प्राप्त हो सके।

1.4 अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव व कांकेर जिले के गोंड जनजाति निवासरत गांवों में क्षेत्र अध्ययन कार्य किया गया। इस अध्ययन हेतु उपरोक्त जिले के गोंड जनजाति के समाज प्रमुखों, परंपरागत तथा आधुनिक सामाजिक व राजनीतिक संगठन के प्रमुखों से एकल एवं सामूहिक साक्षात्कार के माध्यम से गोंड जनजाति की संस्कृति के विभिन्न पक्षों, रीतियों तथा प्रथागत कानून से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन सामूहिक तथा एकल साक्षात्कार अध्ययन द्वारा किया गया। सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन शोध ग्रंथो, जनगणना, शासकीय प्रतिवेदनों तथा गोंड समाज द्वारा प्रकाशित नियमावली पुस्तिका से किया गया तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

अध्याय - 2

परिचय एवं उत्पत्ति

गोंड जनजाति मध्य भारत तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जनजाति का निवास अनेक जिलों में है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक–16 पर गोंड व अनेक उपजातियों का उल्लेख है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जनजाति की जनसंख्या 42,98,404 है। जिसमें 21,20,974 पुरूष तथा 21,77,430 महिलायें हैं।

2.1 उत्पत्ति -

गोंड जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। Russel and Hiralal (1916) के ग्रंथ "The Tribes and Castes of Central Provinces of India" Vol-III के पृ.क्र. 41–43 में गोंड जनजाति का विवरण निम्नांकित है :–

The Principal tribe of the Dravidian family,and perhaps the most important of the non- Aryan or forest tribes in India.In the Central provinces the Gonds occupy two main tracts. The first is the wide belt of broken hill and forest country in the centre of the Province, which forms the Satpura Plateau, and is mainly comprised in the Chhindwara Betul, Seoni and Mandla Districts, With portions of several others adjoining Them. And the second is the still wider and more inaccessible mass of hill ranges extending south of the Chhattisgarh plain and south-west down to the Godavari, which includes portions of the three Chhattisgarh Districts, the Bastar and Kanker states, and a great part of chanda. In Madla the Gonds form nearly half the population, and in bastar about two- thirds. There is, however, no District of state of the provincewhich does not contain some Gonds, and it is both an account of their numbers and the fact that Gond dynasties possessed a great part o its area that the territory of the Central Provinces was Formely known as Gondwana, or the country of the Gonds. The derivation of the word Gond is uncertain. It is the name given to the tribe by the Hindus of Muhammadans, as their own name for themselves is Koitur or Koi.

Mr. Hislop considered that the name Gond was a form of Kond, as he spelt the Name of The Khond tribe. He Pointed out that *k* and *g* are interchangeable.'

The name by which the Gonds call themselves is koi or koitur, while the khonds call themselves Ku, which word sir G.Grierson Considers to be probably related to the Gond name koi. Further, he states that the telugu people call the Khonds, Gond or kod (kor).

(गोंड द्रविड़ीयन परिवार के सबसे प्रमुख जनजाति है। जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि यह गैर आर्यन है अथवा भारत की जंगल/वन में निवास करने वाले जनजाति है।

मध्यप्रांत में गोंड ने दो मुख्य क्षेत्र को अधिग्रहित किया है। पहला–मध्य प्रांत के सतपुड़ा का पठार जो मुख्यतः छिदवाड़ा, बैतूल, सिवनी एवं मंडला जिले व समीपस्त क्षेत्र के वन तथा पहाड़ का विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है तथा दूसरा भाग अधिक विस्तृत तथा पहुंच विहीन पर्वत श्रृखलाओं में फैला हुआ है यह छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण तथा गोदावरी के दक्षिण–पश्चिम के निचले क्षेत्र तक है। जिसमें छत्तीसगढ़ के तीन जिले, बस्तर तथा कांकेर रियासत एवं चांदा का ऊपरी भाग सम्मिलित है।

गोंड, मंडला में कुल जनसंख्या के आधे तथा बस्तर में यह दो–तिहाई है। इस क्षेत्र में प्रांत का कोई भी ऐसा जिला या रियासत नहीं है, जिसमें गोंड की कुछ जनसंख्या निवास न करती हो। गोंड वंश का बड़ा क्षेत्र मध्य प्रांत के अंतर्गत आता है, जिसे सामान्यतः गोंडवाना या गोंडो का राज्य के नाम से जाना जाता है।

गोंड शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट है। इस जनजाति को यह नाम हिन्दू या मुसलमानों द्वारा दिया गया है। उनका अपना नाम ''कोयतूर'' या ''कोई'' है। मिस्टर हिस्लाप ने स्पष्ट किया कि गोंड सम्बोधन कोंड का एक रूप है। जिसमें 'क' परिवर्तित होकर 'ग' हो गया है।

गोंड स्वयं को 'कोई' या 'कोयतूर' सम्बोधित करते हैं। सर ग्रिगसन ने स्पष्ट किया है यह शब्द गोंड जाति के नाम 'कोई' से संबंधित है। आगे उन्होंने लिखा है कि तेलगु व्यक्ति गोंड या कोंड्स या कोड (Kod) से सम्बोधित करते हैं।

2.2 बोली

गोंड जनजाति के सदस्य ''**गोंडी**'' बोली का प्रयोग करते हैं। यह बोली द्रविड़ीयन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। गोंड जनजाति का निवास विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण उनकी बोली में क्षेत्रगत भिन्नता पाया जाता है।

अध्याय - 3

राजनीतिक संगठन

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजनीतिक संगठन जरूरी है। राजनीतिक संगठन सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। सरल समाजों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विशिष्ट राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति के सामंजस्य से कार्य करता है। गोंड जनजाति में परंपरागत रूप से द्विस्तरीय राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो कि जाति पंचायत के रूप में कार्य करता है।

3.1 ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत

गोंड जनजाति निवासरत ग्रामों में ग्राम स्तर पर जनजाति के सदस्यों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ग्राम स्तरीय जाति पंचायत होता है। इसमें ग्राम या समीप के अंतर ग्राम से संबंधित छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका विवरण निम्न है–

3.1.1 कार्यकारिणी - गोंड जनजाति के ग्राम स्तरीय जाति पंचायत की कार्यकारिणी में गायता, पटेल, पुजारी तथा सगा सिपाही होते हैं। जिनका कार्य विवरण निम्नांकित है –

अ. गायता -

गोंड जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी गांव को बसाने के पूर्व जो व्यक्ति सर्वप्रथम उस भूमि पर जिम्मेदारिन माता की स्थापना एवं सेवा सम्पन्न करते हुए घर निर्माण की प्रक्रिया किया जाता है। वही व्यक्ति या उसके वंशज उस गांव के गायता कहलाते हैं। गायता का पद वंशानुगत रीति से उसी परिवार के पुरूष सदस्य को प्राप्त होता है।

गायता का मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर धार्मिक कार्य का नेतृत्व करना। इसके अलावा ग्राम के विवादों, मामलों में निर्णय करना, गोंड व अन्य जनजाति के मामलों के निपटारों में गोंड जनजाति का प्रतिनिधित्व करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों को शुद्धीकरण में सहयोग करना, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक एवं अन्याय करने वालों को सजा दिलाना आदि।

ब. पटेल -

पटेल, ग्राम का प्रशासनिक प्रमुख होता है। पटेल का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या पुजारी का पद संभालने के अनिच्छुक है तो सर्वसम्मति से उसके परिवार के अन्य व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं।

उसका मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों का निपटारा करना, ग्राम में सामाजिक व्यवस्था व नियंत्रण बनाये रखना, ग्राम स्तर के धार्मिक आयोजनों में गायता का सहयोग, ग्राम स्तर के भूमि संबंधी मामलों को निपटाने हेतु सहयोग देना आदि है।

स. बुजुर्ग परिषद् -

गोंड जनजाति के ग्राम स्तरीय जाति पंचायत में सहयोग हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों का समूह होता है। गोंड जनजाति में बुजुर्ग व्यक्ति को ''सियान'' कहते हैं। बुजुर्ग परिषद में पांच से सात सदस्य होते हैं। ये ''सियान'' या बुजुर्ग व्यक्ति ग्राम में जनजाति के योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित तथा जानकार व्यक्ति होते हैं। इनका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है।

''सियान'' या बुजुर्ग परिषद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पटेल व गायता को सहयोग करना, उच्च स्तरीय पंचायत में लिये गये निर्णय के पालन की निगरानी करना, ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक कार्यों में सहयोग करना, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

3.1.2 न्याय प्रक्रिया - ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के अंतर्गत ग्राम में छोटे अपराध घटित होने पर पटेल या जाति पंचायत के सदस्य को सूचित किया जाता है। इसके पश्चात् बैठक का स्थान, तिथि व समय तय कर सगा सिपाही के माध्यम से सूचना देते हैं। नियत तिथि को सभी के उपस्थित होने पर सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात् पटेल, गायता तथा सियान मिलकर विचार–विमर्श कर निर्णय करते हैं। दोषी को चेतावनी, जुर्माना एवं सामाजिक भोज का दण्ड दिया जाता है।

3.2 परगना जाति पंचायत

गोंड जनजाति में 10–20 ग्रामों के समूह पर गठित परगना स्तर के राजनीतिक संगठन को ''परगना पंचायत'' कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित गंभीर या बड़े अपराधों का निपटारा करना है। परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी निम्न है–

3.2.1 कार्यकारिणी - गोंड जनजाति के परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में ''परगना मांझी'', ''पाईक'' होते है।

अ. परगना मांझी

क्षेत्रीय स्तर या परगना जाति पंचायत का प्रमुख पद ''मांझी'' होता है। ''मांझी'' परगना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का प्रमुख होता है। ''मांझी'' का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या ''मांझी'' का पद संभालने को अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को ''मांझी'' का पद दिया जाता है। यदि ''मांझी'' निःसंतान है तो उसके भाईयों के पुत्र को, ''मांझी'' की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवयस्क है तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को ''मांझी''

बनाते है। ''मांझी'' का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत या समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी मामले का निपटारा करना, ग्राम स्तर पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील का निपटारा करना, एकाधिक गोंड ग्राम के मामलों का निपटारा करना, सामाजिक नियमों तथा निर्णय के पालन तथा उल्लंघन की निगरानी करना, पूर्व में बस्तर रियासत काल के दौरान विभिन्न अवसरों पर जनजाति संबंधी मामलों में परगना का प्रतिनिधित्व करना।

ब. पाईक

गोंड जनजाति के परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में परगना मांझी के कार्यों में सहयोग हेतु परगना के अंतर्गत ग्रामों के पाईक या सूचना दाता तथा परगना क्षेत्र के सियान व्यक्तियों का एक समूह होता है। पाईक तथा बुजुर्ग परिषद का कार्य परगना मांझी के कार्यों में सहयोग करना, जात–पात या बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी कार्य में सहयोग करना आदि है।

3.2.2 न्याय प्रक्रिया - परगना स्तरीय जनजाति पंचायत के अंतर्गत परगना में शामिल ग्राम में बड़े अपराध जैसे–अंतरजातीय विवाह, पलायन विवाह तथा रोग के कारण शरीर में कीड़े पड़ने की घटना घटित होने पर पगरना स्तरीय जनजाति पंचायत में ग्राम के पाईक द्वारा सूचित किया जाता है। इसके पश्चात् परगना के सभी पाईक को बैठक का स्थान, तिथि व समय की सूचना देते हैं। नियत तिथि को सभी के उपस्थित होने पर सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात् परगना मांझी, पाईक तथा बुजुर्ग परिषद मिलकर विचार–विमर्श कर निर्णय करते हैं। दोषी को जुर्माना, सामाजिक भोज एवं जाति बहिष्कृत का दण्ड दिया जाता है।

3.3 आधुनिक जातीय संगठन

वर्तमान में गोंड जनजाति के शिक्षित, जागरूक तथा प्रगतिशील सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक, संगठित तथा विकास मार्ग पर अग्रसर करने हेतु बस्तर संभाग में जातीय सामाजिक संगठन का गठन किया गया है। इसे संभाग, जिला, ब्लाक, मुडा एवं ग्राम स्तर पर विभाजित किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त जातीय संगठन द्वारा तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने, समाज सुधार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं।

3.3.1 संगठन का परिचय एवं कार्य - समाज द्वारा निर्धारित नियमों के रीति रिवाजों तथा मान्य परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं समाज को सही दशा एवं दिशा देने के लिए सामाजिक संगठन का गठन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में गोंड जनजाति द्वारा बस्तर संभाग के लिए पांच स्तरीय सामाजिक संगठन बनाया गया है–

उपरोक्त सामाजिक संगठन के स्तर अनुसार विवरण व कार्य विवरण निम्नांकित है –

1. **संभाग स्तरीय गोंड समाज -** इसमें बस्तर संभाग के सात जिलों के स्तर से उच्च स्तर पर संगठन बनाया गया है। जिसके पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से किया जाता है। इसके निम्नानुसार पदाधिकारी होते हैं –

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष–बस्तर संभाग के सातों जिले के 7 अर्थात् प्रत्येक जिला से एक पदाधिकारी
3. सचिव–बस्तर संभाग के सातों जिले के 7 अर्थात् प्रत्येक जिला से एक पदाधिकारी
4. संयुक्त सचिव – 1
5. सह सचिव – 1
6. कोषाध्यक्ष – 1
7. प्रवक्ता – 2
8. संगठन मंत्री –
9. **कार्यकारिणी समिति के सदस्य -** इस हेतु सातों जिला इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव संभागीय कार्यकरिणी के पदेन सदस्य होंगे। संभाग के समस्त ब्लाक स्तर के अध्यक्ष एवं प्रत्येक ब्लाक से दो–दो कार्यकारिणी के सदस्य विकासखण्ड स्तर के कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
10. आडिटर – प्रत्येक जिले से एक एक अंकेक्षण।
11. संरक्षक अथवा सम्माननीय सदस्य – 3

कार्य अवधि–पांच वर्ष। इसके पश्चात संगठन का आगामी महासभा में सर्वसम्मिति से प्रस्ताव पारित कर चुनने की प्रक्रिया लागू की गई है।

कार्य -

1. सभा, महासभा का आयोजन।
2. महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यरुप में परिणित करना।
3. अधीनस्थ ईकाइयों के कार्यो पर नियंत्रण एवं उनके आय व्यय का लेखा जोखा संकलित कर आडिट करा कर वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करना।
4. शासन, प्रशासन तथा जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर समाज हित में कार्य करना।
5. अधीनस्थ ईकाइयों द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने पर उसे भंग करना तथा तदर्थसमिति की नियुक्ति करना।
6. वार्षिक चूल्हा चंदा तय कर सहयोग राशि एकत्र करना तथा उसका लेखा जोखा रखना।
7. अधीनस्थ ईकाइयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी अथवा अधीनस्थ इकाई को हस्तान्तरण कर सकेगी।
8. संभागीय समिति द्वारा जारी रसीद बुक से ही जिला एवं ब्लाक, मुडा क्षेत्र के पदाधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करेंगे। संग्रहित राशि का प्रत्येक इकाई को संभाग समिति द्वारा विभाजन किया गया है जो निम्न है –

क्रं.	इकाई	संग्राहक	राशि
1	ग्राम (मजरा–टोला)	ग्राम प्रमुख	20 प्रतिशत
2	मुडा	मुडादार	20 प्रतिशत
3	ब्लाक	ब्लाक इकाई	20 प्रतिशत
4	जिला	जिला इकाई	20 प्रतिशत
5	संभाग	संभाग समिति	20 प्रतिशत
			100 प्रतिशत

2. जिला स्तरीय गोंड समाज -

गोंड जनजाति की जिला इकाई जिला स्तर पर कार्य करती है तथा संभाग, ब्लाक, क्षेत्र परगना एवं मुडा स्तर के इकाईयों से समन्वय बनाकर कार्य करती है। जिला स्तरीय इकाई में निम्नानुसार पदाधिकारी होते हैं –

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव
4. उपसचिव

5. संगठन मंत्री
6. कोषाध्यक्ष
7. कार्यकारिणी सदस्य
8. आडिटर

इन पदाधिकारियों का चुनाव जिला स्तर के सामाजिक व्यक्तियों प्रमुखों द्वारा जो सदस्यता ग्रहण किये है उनके आम सहमति से किया जावेगा।

9. विकासखण्ड के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

कार्य -

1. संभागीय संगठन के निर्देशों का पालन करना।
2. जिला स्तरीय गोंड समाज के विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. अनिर्णित विषयों के लिए संभागीय संगठन से मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं आवश्यकतानुसार उसे सुपुर्द करेगा।
4. आय—व्यय का हिसाब, वार्षिक विवरण संभागीय संगठन के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. सभी पदाधिकारी रचनात्मक कार्यो के लिए समाज को प्रेरित करेंगे।
6. गोंड समाज के लोगों से वार्षिक चूल्हा चंदा/सहयोग राशि संग्रह कर उसका वितरण एवं नियमित लेखा जोखा रखना।

3. ब्लाक स्तरीय गोंड समाज

गोंड जनजाति की ब्लॉक स्तर इकाई ब्लॉक या विकासखंड स्तर पर कार्य करती है। इसके निम्नानुसार पदाधिकारी होते हैं –

1. अध्यक्ष
2. सचिव
3. कोषाध्यक्ष
4. कार्यकारिणी सदस्य उपरोक्त पदाधिकारी का चुनाव ब्लाक स्तर के सदस्यता ग्रहण किये गये स्वजनों की आम सहमति पर किया जावेगा एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष/परगना मांझी पदेन सदस्य होंगे।

कार्य -

1. ब्लाक स्तर के सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना।
2. संभाग एवं जिला कार्यकारिणी के निर्देशों का पालन करना उनसे परामर्श लेना।
3. समाज हित के कार्य।
4. संभाग, जिला, क्षेत्र–परगना एवं मूडा इकाइयों से सहयोग एवं समन्वय रखते हुए कार्य करना।
5. संभागीय समिति द्वारा निर्धारित चूल्हा चंदा का संग्रहण कर उसका वितरण तथा लेखा जोखा रखना। संग्रहकर्ता को 15 प्रतिशत भत्ता देय होगा शेष राशि का 20 प्रतिशत प्रत्येक इकाई को वितरित की जावेगी।

4. क्षेत्र स्तरीय परगना समिति -

गोंड जनजाति की क्षेत्र स्तर पर परगना इकाई कार्य करती है। निम्नानुसार पदाधिकारी होते हैं–

1. मुखिया–मांझी
2. सचिव
3. कोषाध्यक्ष
4. कार्यकारिणी सदस्य उपरोक्त पदाधिकारियों का चुनाव क्षेत्रीय स्तर के गोंड समाज के सभा में आम सहमति पर किया जावेगा एवं मूडादार पदेन सदस्य होंगे।

कार्य -

1. अपने क्षेत्र अथवा परगना के सभी ग्राम के सामाजिक प्रकरणों का समाधान करना एवं उनका निर्णय करना। यह अधिकार क्षेत्रीय कार्यकारिणी/परगना कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में रहेगा एतद् अनुसार सामाजिक प्रकरणों की निराकरण की प्रारंभिक इकाई क्षेत्रीय एवं परगना होगी।
2. संभाग, जिला एवं विकासखण्ड इकाई के निर्देशों का पालन करना।
3. समाज हित के कार्य करना ।
4. अन्य इकाईयों से समन्वय रखते हुये कार्य करना।
5. लेखा एवं प्रकरणों का मासिक प्रतिवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

5. मूडा-ग्राम समिति -

ग्राम स्तर पर सुविधा अनुसार चार–पांच गांव के समूह को मिलाकर एक मूडा ग्राम समिति होगी जिसमें एक मुखिया मूडादार होगा तथा सभी ग्राम से सुविधा अनुसार प्रत्येक गांव से 5 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में समाज सेवा का कार्य करेंगे।

1. मूडादार अपने मूडा के अंतर्गत आने वाले छोटे प्रकरणों का समाधान करसकते है।
2. मडादार अपने मूडा क्षेत्र के सामाजिक प्रकरणों जैसे विवाह संबंध विच्छेद संबंधी विवाद का निराकरण हेतु क्षेत्र प्रमुख को प्रेषित करेंगे।
3. मूडादार को बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं है प्रकरणों की प्रथम सुनवाई क्षेत्र में ही करेंगे।
4. प्रमुख कार्य एवं शक्तियॉं, गायता / पटेल / गांव प्रमुख / सगा सिपाही / सिरदा।

दंड राशि का वितरण -

किसी भी विवादित सामाजिक प्रकरण का निराकरण संगठन के किसी भी स्तर में जाकर जुर्माना किया जाता है तो जुर्माना राशि का वितरण इस प्रकार होगा –

क्र.	इकाई	संग्राहक	राशि
1	संभाग	अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष	20 प्रतिशत
2	जिला	अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष	20 प्रतिशत
3	ब्लाक	अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष	20 प्रतिशत
4	परगना क्षेत्र / मुडा	अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष	20 प्रतिशत
5	भूमकाल समिति	अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष	20 प्रतिशत
			100 प्रतिशत

टीप :- ऐसे प्रकरणों का सूचना उच्च स्तर के इकाई को निर्णय पूर्व देना अनिवार्य होता है।

अपील -

अनिर्णित एवं विवादित सामाजिक प्रकरणों के विरुद्ध ग्राम स्तर अथवा क्षेत्रीय इकाई के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जायेगी। द्वितीय अपील जिला इकाई तथा अन्तिम अपील संभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। संभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।ब्लॉक समिति द्वारा निर्णित प्रकरण में प्रथम अपील जिला इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संभागीय समिति प्रकरणों की सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार से भिन्न अन्य क्षेत्र के इकाई अथवा अन्य इकाई को प्रकरणों की हस्तांतरण कर सकेगी।

सामाजिक प्रकरणों में संभागीय संगठन के अनुमति के बिना न्यायालय में जाना प्रतिबंधित है अन्यथा संबंधित व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किये जाने का प्रावधान है इस कार्य में कोई सहयोगी (मध्यस्थ) बनता है तो उसे 5551/– रु. जुर्माना देना होगा।

महासभा –

संभागीय समिति द्वारा प्रति माह कार्यकारिणी की बैठक अनिवार्य रुप से आयोजित किया जायेगा तथा वर्ष में कम से कम एक बार महासभा (साधारण सभा) का आयोजन किया जायेगा। नियमावली में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो का प्रस्ताव प्रस्तुत कर उसे संशोधित करायेगा। महासभा में संगठन के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें नीचे के ईकाइयों से लंबित विवाद अथवा बिना सुलझे विवादों का निर्णय किया जायेगा।

3.4 अपराध एवं दण्ड

गोंड जनजाति में सामाजिक नियमों के विरूद्ध तथा व्यक्ति के हित के विरूद्ध किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की गंभीरता की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है–

3.4.1 छोटे अपराध – छोटे अपराध के अंतर्गत गोंड जनजाति के सदस्य द्वारा गोंड जनजाति या अन्य जनजाति के व्यक्ति के घर चोरी, मारपीट, फसल को नुकसान पहुंचाना आदि आते हैं। इसकी सुनवाई तथा निपटारा ग्राम स्तर के जनजाति पंचायत में होता है।

3.4.2 बड़े अपराध – गोंड जनजाति में बड़े अपराध के अंतर्गत निम्नांकित मामले आते हैं।

1. अंतर्जातीय विवाह व पलायन विवाह
2. विवादित बंटवारा
3. छेड़छाड़
4. पति–पत्नी विवाद
5. विवाह विच्छेद
6. विवाह के दौरान सत्ता लेन–देन में।
7. धार्मिक मामले
8. जादू–टोना के मामले

9. चप्पल–जूते से मारपीट–स्वजातियों के बीच जूते से मारपीट होने पर संबंधितों का स्थानीय पंचों/विवाह संबंधी (समधान) के द्वारा शुद्धिकरण किया जावेगा एवं साथ ही मारन भात समाज को दिया जावेगा इसमें दोषी पक्ष को 551 रु. आर्थिक दण्ड देना होगा।

दूसरे जाति के साथ जूता मारपीट होने पर सेठिया द्वारा धूपबत्ती, नारियल, फूलपान के साथ इस प्रकरण का समाधान करने का प्रावधान है।

10. पत्नी के द्वारा पति को मारना

11. किसी रोग के कारण शरीर में कीड़े पड़ना

12. जीवन संस्कार के दौरान किसी पक्षी या कीड़ा द्वारा बीट करना।

13. नाक–कान कटने पर–नाक कान में आभूषण पहनने से कभी–कभी नाक या कान कट जाने की स्थिति मे सेठिया द्वारा सोनवानी पानी से धोया जाता है ।

ऐसे मामलों को बड़े अपराध की श्रेणी में माना जाता है। बिंदू क्रमांक–9 से 13 के मामले में परिवार को समाज से पृथक माना जाता है व परिवार का शुद्धिकरण किया जाता है। उपरोक्त बिंदू क्रमांक–9 से 13 से संबंधित मामले होने पर सगा नायकूर (शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति) को सूचना देता है। फिर नियत तिथि पर परिवार का शुद्धिकरण किया जाता है। तब तक परिवार सामाजिक रूप से पृथक रहता है।

अध्याय - 4

भौतिक संस्कृति एवं प्रथागत कानून

गोंड जनजाति, बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के मैदानी, पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में निवास करती है, इस कारण उनके सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक भौतिक संस्कृति में पर्यावरण व प्रकृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

4.1 ग्राम

गोंड जनजाति के ग्राम नदी–नाला एवं वन के समीप बसा होता है। ग्राम के मुख्य या मध्य स्थल में सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन, बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी–देवता की मूर्ति स्थापित होती है। श्मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है।

4.2 आवास

गोंड जनजाति का आवास चारों ओर से लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी या मिट्टी की चारदीवारी से घिरा होता है। सामने की ओर आंगन रहता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ी दूर में ''कोठा'' (पशु शाला) तथा बकरी रखने का कक्ष, मुर्गा–मुर्गी रखने का स्थान, सुअर रखने का स्थान होता है।

4.3 आवागमन एवं परिवहन

गोंड जनजाति के सदस्यों के बाजार–हाट, वनोपज क्रय–विक्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं आवागमन हेतु पैदल एवं सायकल ही मुख्य साधन है। वर्तमान में कच्चे व पक्के सड़कों के विकास के फलस्वरूप गोंड सदस्य आवागमन हेतु मोटर सायकल, बस, ट्रक, ट्रेक्टर, जीप, कार आदि का उपयोग करने लगे हैं।

4.4 भोजन एवं पेय

गोंड जनजाति के सदस्य भोजन में चांवल, दाल तथा मौसमी सब्जियाँ मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। मक्का व चांवल की ''कनकी'' (खंडा) को अधिक पानी में उबालकर '''पेज'' बनाते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में चांवल की ''कनकी'' (खंडा) को दिनों से पूर्व से भिगोये तथा खमीर युक्त ''मंडिया'' (रागी) आटा के घोल के साथ उबालकर ''मंडिया पेज'' बनाते हैं।

गोंड जनजातीय सदस्यों द्वारा मादक पेय के रूप में ''दांड़गो'' (शराब) ''गोरगा'' (सल्फी) रस, छिंद रस का उपयोग किया जाता है। मादक पदार्थों का सेवन संध्या, साप्ताहिक बाजार, त्यौहार, अतिथि आगमन, धार्मिक सामाजिक आयोजन के दौरान किया जाता है। गोंड सदस्य बीड़ी, तंबाकू, तम्बाकू युक्त गुटखा का सेवन करते हैं।

4.5 आभूषण

गोंड जनजाति के स्त्री–पुरूष श्रृंगार, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं। गोंड बच्चे, स्त्री–पुरूष नजर व बुरे प्रभाव से रक्षा हेतु गले में काला धागा, ताबीज धारण करते हैं।

4.6 गोदना

गोंड जनजाति में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। स्त्रियों द्वारा गोदना न गुदवाने पर जन्म निरर्थक माना जाता है। इस कारण स्त्रियों में अधिक प्रचलित है, गोंड जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है। गोंड जनजाति में कन्याओं को विवाह के पूर्व 12–13 वर्ष की आयु में गोदना गुदवाया जाता है। गोदना बांह व कलाईयों तथा कोहनी की नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियों का गोदना गुदवाती हैं।

4.7 वस्त्र विन्यास

गोंड जनजाति के वस्त्र विन्यास समकालीन होते हैं। छोटे बालक को पैंट एवं शर्ट पहनाते हैं। वयस्क पुरूष धोती, लुंगी, बनियान, शर्ट, टी–शर्ट, हाफ एवं फूल पेंट सिर पर ''पागा'' (साफा) आदि पहनते हैं। गोंड जनजाति की छोटी बालिकाओं को झबला, फ्राक पहनाते हैं। किशोरी बालिकायें कमीज, स्कर्ट, फ्राक एवं सलवार कुर्ता, स्कर्ट कमीज पहनती हैं, जबकि स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, गाउन धारण करती हैं।

4.8 औजार व साधन

गोंड जनजाति के सदस्य परंपरागत औजारों के माध्यम से कृषि करते हैं। परिवार में कृषि औजार सदस्यों की संख्या या आवश्यकता या आर्थिक के आधार पर पाये जाते हैं। हल, कुदाली, फावड़ा, गैती, हंसिया आदि प्रमुख कृषि औजार हैं।

गोंड जनजाति के सदस्य नदी–नालों, खेत में तथा तालाबों में मत्स्य आखेट करते हैं। गरी–लाट, विभिन्न प्रकार के जाल, दांदर आदि मत्स्य आखेट के प्रमुख साधन हैं।

गोंड जनजाति के सदस्य शासकीय प्रतिबंध के कारण धार्मिक प्रयोजन, मनोरंजन एवं फसलों की सुरक्षा हेतु प्रतीकात्मक रूप से शिकार करते हैं। तीर–धनुष, गुलेल, जाल आदि शिकार के उपकरण हैं।

4.9 संगीत के साधन

गोंड जनजाति में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गीत–संगीत–नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ढोल, मांदर, तुरही, बांसुरी आदि प्रमुख वाद्य यंत्र हैं।

गोंड जनजाति में भौतिक संस्कृति संबंधी नियम तथा प्रथागत कानून

गोंड जनजाति में भौतिक संस्कृति संबंधी नियम तथा प्रथागत कानून निम्नांकित है–

1. ग्राम की भूमि क्षेत्र में पूजा कर प्रथम बसने वाले परिवार के मुखिया को गायता अर्थात् भूमि पुजारी माना जाता है। ग्राम के भूमि क्षेत्र में ग्राम देवी के मंदिर में पूजा व अन्य धार्मिक आयोजन में गायता की विशेष भूमिका होती है।
2. ग्राम के रूढ़िगत सीमा के भीतर के वन संपदा, जलस्त्रोत, खनिज संसाधन ग्राम की सामुदायिक संपदा माना जाता है। जिसका उपभोग, संरक्षण व संवर्धन का अधिकार ग्रामवासियों का होता है। अन्य ग्राम के सदस्यों द्वारा उपयोग के पूर्व ग्राम प्रमुख व सदस्यों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है।
3. ग्राम के सामुदायिक क्षेत्र जैसे–तालाब, देवस्थल, श्मसान, घोटूल आदि ग्राम की सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, जिसका उपयोग पीढ़ी–दर–पीढ़ी किया जाता है। जिसकी समय–समय पर ग्रामवासियों द्वारा मरम्मत व सुधार कार्य किया जाता है। इनको नुकसान पहुचाने वाले को चेतावनी व दंडित किया जाता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 5

जीवन संस्कार एवं प्रथागत कानून

सभी समाजों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि जीवन सस्कारों को एक निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों के साथ पूर्ण किया जाता है। इन अनुष्ठानों में परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रूचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विवधता दिखाई देता है, किंतु एक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें समग्र रूप से जीवन संस्कार कहा जा सकता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते हैं। गोंड जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है –

5.1 जन्म संस्कार

अ. गर्भधारण एवं प्रसव - गोंड जनजाति में मासिक चक्र रूकने से गर्भधारण या गर्भ ठहरने का ज्ञान होता है। गोंड जनजाति में गर्भवती स्त्री, गर्भकाल के प्रांरभिक एवं मध्यकाल तक सामान्य दैनिक कार्यो का निर्वहन करती हैं।

गोंड जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर में होता है। प्रसव कार्य ग्राम की दो–तीन जानकार स्त्रियों ''सुईन''/'दाई' से करवाते हैं। प्रसव के उपरांत तीन दिन प्रसूता को ''कशा'' पानी दिया जाता है। ''कशा'' ''हिरवां''(कुल्थी), कुटा हुआ काला तिल, सिंगी तथा ककही जड़ (जंगली जड़ी) को पानी में उबालकर बनाते हैं। तीसरे दिन प्रसूता को भोजन खिलाते हैं।

ब. छठी संस्कार तथा नामकरण - गोंड जनजाति में छट्ठी/नामकरण संस्कार सामान्यतः शिशु के जन्म से 6 वें से 21वें दिनों के मध्य किया जाता है। इसमें नवजात शिशु का नाम रखा जाता है। मुंडन संस्कार वैवाहिक पक्ष के संबंधी (अक्को–मामा) के हाथों कराया जाता है। इस दिन संबंधियों तथा ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। परिवार के सदस्य पूजा विधान तथा बच्चे का नामकरण करते हैं तथा आमंत्रित जन शिशु को आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। इसके बाद सभी आमंत्रित जनों को स्वल्पाहार या भोज कराते हैं।

5.2 विवाह संस्कार

गोंड समाज में विवाह को जीवन का आवश्यक संस्कार माना जाता है क्योंकि विवाह से ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, निश्चिंतता आती है साथ ही परिवार के निर्माण से समाज व संस्कृति निरंतर गतिशील रहती है।गोंड जनजाति में परम्परागत सामाजिक व्यवस्था अनुसार विवाह एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक संस्कार है विवाह व्यक्तिगत एवं सामाजिक रस्म–रिवाज होने के साथ–साथ एक धार्मिक संस्कार भी है। इस संस्कार के द्वारा स्त्री–पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते है गोड समाज में प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिये विवाह को अति आवश्यक माना गया है।

अ. **विवाह हेतु अधिमान्यता -** गोंड जनजातीय समाज में विवाह हेतु ममेर–फुफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है। इसमें एक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु उनके मामा या फूफा के संतान को प्राथमिकता देता है। ऐसे विवाह को अच्छा माना जाता है क्योंकि वैवाहिक पक्ष वर/वधू पूर्व परिचित या रिश्तेदार होते हैं, जिससे संतान का वैवाहिक जीवन सुखी होने का विश्वास होता है तथा दोनों पक्षों में आपसी संबंध भी अधिक घनिष्ठ होते हैं। गोंड जनजाति वंश व गोत्र बहिर्विवाही तथा जनजाति अंतर्विवाही है।

ब. **विवाह आयु -** वर्तमान में गोंड समाज में लड़कों का विवाह 18–22 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 18–20 वर्ष की आयु में किया जाता है।

5.2.1 विवाह के प्रकार

गोंड समाज पुरूष प्रधान समाज है। इस समाज की विवाह पद्धति में पुरूषों को प्रमुखता है। गोंड समाज में विवाह के निम्न प्रकार प्रचलित है :–

अ. **एकल विवाह -** गोंड समाज में एक विवाह की संख्या अधिक है। इसमें एक समय में एक ही पुरूष–स्त्री के मध्य वैवाहिक संबंध होता है। कई बार विवाह विच्छेद, विधुर/विधवा होने के कारण दूसरे पुरूष/स्त्री से विवाह किया जाता है किन्तु एक समय में एक ही स्त्री/पुरूष से विवाह संबंध होता है।

ब. **बहुपत्नी विवाह -** गोंड समाज में अल्पसंख्या में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण विधवा विवाह एवं संतानहीनता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है। गोंड समाज में बहुपत्नी विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

5.2.2 जीवनसाथी चयन की विधियाँ

गोंड समाज में जीवन साथी चयन करते हेतु अनेक विधि प्रचलित है। विवाह हेतु इच्छुक व्यक्ति या परिवार प्रचलित विधियों के अंतर्गत विवाह कर सकता है। गोंड समाज में विवाह साथ चयन की विधि विवरण निम्न है –

1. **सहमति विवाह -** सहमति विवाह में वर–वधू दोनों के पक्ष आपसी सहमति से विवाह संबंध तय करते हैं। इनमें से आपसी सहमति के आधार पर तय किये जाने वाले विवाह की संख्या सर्वाधिक है।

विवाह के प्रकार - गोंड समाज में प्रचलित सहमति विवाह के निम्न स्वरूप हैं –,

1. **बड़ी शादी/चल शादी -** इसमें वर पक्ष बारात लेकर वधु के घर जाता है वधु के घर विवाह के सम्पूर्ण रस्म रिवाज सम्पन्न होता है फिर वधु को लेकर वर बारात के साथ अपने घर वापस आता है।वर वधु का मंडप आपसी पारिवारिक सहमति के आधार पर तय किया जाता है।

2. **छोटी शादी (सगाई शादी) -** इसमें वर बारात लेकर वधु के घर जाता है और वहीं वधु की सगाई कर उसे अपना घर लाता है और शादी की सम्पूर्ण रस्म रिवाज वर के घर सम्पन्न होता है वधु को सौंपने के

बाद वधु पक्ष के चौथिया को वर पक्ष द्वारा बिदा कर दिया जाता है।

3. **एक दिवसीय विवाह -** नियमावली 2004 के अनुसार समाज में एक दिवसीय विवाह को व्यवहार में लाये जाने निर्णय लिया गया था, जिसे इस महासभा में मान्यता दी गई है।

4. **मंझली शादी -** नियमावली 2004 के अनुसार समाज में मंझली शादी प्रतिबंधित था महासभा 2014 के परिचर्चा उपरान्त मंझली शादी की प्रासंगिकता, समय एवं परिस्थितियो को देखते हए मंझली शादी को ऐच्छिक किया गया है।

विवाह रस्म -

1. **पूजन/सेवा विधि -** गोबर से लिपकर चांवल आटा से चौक बनाकर कलश स्थापित कर पानी, कच्चा दूध, दुबी, अग्नि, धूप, हल्दी, चावल, आम पत्ती इत्यादिसे ईष्ट देव, कुल देव एवं गांव के देवी देवताओं (शीतलामाता/जिमेदारीन/तलमत्ते/कडरेंगल/बिमालपेन) की पूजा अर्चना एवं स्तुति करने की परम्परा है। जिससे वर–वधू का दाम्पत्य जीवन सुखी एवं मंगलमय रहे तथा वे धन धान्य से सम्पन्न रहें।

2. **चुल्हा रस्म -** दोनों पक्ष के गोत्र, दूध जांच सही होने पर चुल्हा नेंग दोनों पक्ष के रिश्तेदारो द्वारा किया जायेगा।

3. **महला -** महला कार्यक्रम में लाई (पिरकींग) मुर्रा, गुड (बेली) का उपयोग किया जायेगा। महला जाने के लिए शराब का प्रयोग वर्जित किया गया है।

4. **मंगनी -** विवाह योग्य लडका–लडकी के परस्पर रजामंदी एवं दोनों परिवार के सहमति होने पर मंगनी की रस्म की जाती है। इस रस्म में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को एक साडी, एक नारियल दी जाती है।

5. **जानकारी एवं फलदान** – इस रस्म को दोनों पक्ष के पारिवारिक सदस्यों एवं समाज प्रमुखों के उपस्थिति में करते है यथाशक्ति अनुसार वर पक्ष की ओर से लडकी को एक साडी, एक नारियल भेंट की जाती है। साथ ही गुड, लाई, मुर्रा, चना एवं मिष्ठान भी वधु पक्ष को दी जाती है। रस्म अदायगी पश्चात् शादी पक्की मान ली जाती है।

6. **कुर बांधना (विवाह तिथि तय करना) -** दोनों पक्षों की सुविधा एवं सहमति के बाद शादी की तिथि व शादी के समस्त कार्यक्रम भी तय किया जाता है।

7. **कोडवकिंग रस्म -** शादी रस्म की शरुवात करने के लिए चेलिक–मोटियारिनों के द्वारा शुभारंभ में दोनों गोत्रों की व्याख्या करते हुए किया जाता है।

8. **बारात -** बारातियों का स्वागत पीला चांवल से तिलक लगाकर तथा यथा संभव फूल के हार या पुष्प से स्वागत किया जाता है। बारातियों को ठहराने की व्यवस्था वधु के घर के समीप किया जावेगा,

बारातियों की संख्या 75 से 100 निर्धारित की गई। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच सहमति आवश्यक होता है।

9. **पनबुडी** - शादी के पूर्व पनबुडी की रस्म अदायगी सामाजिक पुजारी (दोशी) द्वारा किये जाने की परम्परा है। वर–वधु को सात फेरे (भंवर) पूर्ण करना अनिवार्य है।

10. **मडवा (मंडप)** - मंडप के लिए महुए की कुंआरी पेड़, साजा के खम्बे एवं जामुन शाखा लाने हेतु, लाई, गुड, धूप, धागा का विधिवत उपयोग एवं महुए के पेड पर चिन्हित कर विवाह स्थल के पास लाया जाता है। जहां स्वागत (मडवा परघोनी) पश्चात् सामाजिक पुजारी द्वारा मण्डप में उपरोक्त वनस्पतियों को मंडप के रुप में स्थापित करने की परम्परा है। महिलाओं के द्वारा कलश को सजाकर मंडप में स्थापित किया जाता है।

11. **चोरटी तेल चढाना** - तेल चढाने की रस्म के तहत चोर तेल (पेन–नीय) भण्डारी के कमरे में विवाहितों द्वारा सीमित तथा खास रिश्तेदारों द्वारा ही गुप्त रुपसे चढाया जाता है।

12. **तेल चढाना** - चोर तेल चढाने के पश्चात् 7 फेरा लगाकर मडवा में वर–वधू को तेल चढाया जाता है।

13. **मडवा निगना** - गांव के माता, बुजर्गों एव नवयुवक नवयुवतियों के द्वारा गोत्र देवता एवं कुल देवताओं को रेला गीत के माध्यम से अव्हान किया जाता है।

14. **मडवा नाचना** - रात्रि में मंडप में नृत्य किया जाता है। जिसमें परंपरागत रस्म के नृत्य, गीत एवं वाद्य यंत्रो का प्रयोग किया जाता है।

15. **सगा निंगनी** - सगा निंगनी में सगा–संबंधियों एवं परिजनों द्वारा चांवल, दाल एवं राशि दिये जाने की परम्परा है।

16. **सत्ता** - गोंड जनजाति में विवाह में वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को सत्ता प्रदाय करने की परंपरा है। सत्ता नेंग में वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को 10 काठा चांवल, चार काठा दाल, लाई, गुड, चूडी, कुंदरी, तेल एवं सत्ता के समय साडी, एक माय लुगरा, एक डेढसास की साडी, एक काकोदाई लुगरा, एक डोकरी दाई लुगरा, मामावाही 5 रूपये, सुसराखण्डा 5 रूपये, देव कौडी अपने कुल गोत्र (दोगाना) अनुसार सुख सता 7 रुपये, चुडी पहरोनी 25 रूपये, संग छुटौनी 51 रूपये एवं मातृपक्ष को 51 रूपये वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। विवाह नेग संबंधी सामग्री सत्ता के समय ही बताया/दिखाया जावे/सत्ता के समय वधु के उपयुक्त संबंधितों को उपस्थित होकर उक्त नेंग की सामग्री प्राप्त करने का रिवाज है।

वर्ष 2014 के गोंड महासभा में सत्ता नेग निर्धारित किया गया है, जो निम्न है :–

1.	चांवल	–	20 काठाया 50 पैली
2.	दाल	–	5 काठाया 10 पैली

3.	सब्जी	–	संख्या आधारित मात्रा निर्धारित की जावे।
4.	प्रसाद	–	लाई, गुड, चना
5.	नेग सामग्री	–	चूडी–फूदंरी, हल्दी तेल सत्ता के लुगरा
			01 मायसारी लुगरा
			01 डेढ सास का लुगरा
			01 काको दायी लुगरा
			01 आजी गोदली लुगरा
			01 फुफूवाही लुगरा
			01 मामा वाही
			50 रु. सुसरा खंडा
			101रु. सुखसत्ता
6.	देव कौडी	–	कुल अपने गोत्र (दुगानी) के अनुसार।
7.	चूडी पहोरनी	–	51 रु.
8.	संग छुटोनी	–	101रु.
9.	मातृ पक्ष	–	51 रु.
10.	डोर छैकोनी	–	151 रु.

17. **तेल उतारना -** तेल उतारने की रस्म सत्ता के बाद दोपहर तक सम्पन्न किया जाता है।

18. **लगन -** लगन सूर्यास्त के समय गोधुली बेला में सम्पन्न करने की मान्यता है समय और परिस्थिति अनुसार लगन मण्डप अथवा मण्डप में किया जा सकता है। लगन मण्डप में प्रवेश के पूर्व अपने परिवार के नियमानुसार मउर सौपने का नियम किया जाता है। लगन मण्डप को दोशी (सामाजिक पुजारी) द्वारा हल्दी, चांवल आटा से श्रृंगार किया जाता है। भंवर मण्डप में दोशी दुल्हा–दुल्हन पर्रावाली व सुविधानुसार निकट संबंधी फेरे में साथ होते हैं। गोंड जनजाति में फेरे या भंवर दाहिने से बायें ओर (बैला भंवर) सात फेरा लेने की परम्परा है। भंवर समाप्ति पर वर–वधु पर पानी डालने का रिवाज है।

19. **बिदाई -** सम्पूर्ण वैवाहिक रस्म सम्पन्न होने पर उसी रात बिदाई किया जाता है।

1. **लमसेना विवाह** - परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में यह प्रावधान है कि पिता आवश्यक होने पर अपने पुत्री के लिये उचित रिश्ते के लडके को एक निर्धारित समय पर सेवा कार्य हेतु अपने घर रख सकता है निर्धारित समय पश्चात् अपनी पुत्री की शादी उस युवक से स्वयं के व्यय पर कर देने का प्रावधान है।

2. **पैठू विवाह** - कोई अविवाहित लडकी किसी लडके के घर विवाह प्रयोजन हेतु चली जाती है तो समाज प्रमुखों के यथोचित जांच पड़ताल के बाद लडका लडकी के सहमति पर दोनों की शादी की जा सकती है। विवाह से संबंधित रस्म(सता नेग) लेने का अधिकार लडकी के पिता के गांव वालों को होता है।

3. **उढरिया विवाह** - जब कोई लडका किसी विवाह संबंधी पक्ष (समधान)की लडकी या जब कोई लडकी विवाह संबंधी पक्ष (समधान)के लडके के साथ भाग जाता/जाती है, ऐसे स्थिति में शादी के पूर्व सामाजिक प्रमुखों के द्वारा यथोचित जांच करने बाद रिश्ते–नाते सही पाये जाने पर शादी करा सकते है और शादी के बाद नव दंपत्ति को वर के घर पहुंचा देने का रिवाज है जहां नियमानुसार रस्म के सामान (नेंग–नता) पटाने का प्रावधान रखा गया है ऐसे शादी करने वालों पर 2051 रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है।

4. **जबरन या हरण विवाह** - किसी लडकी को जबरदस्ती पकडकर शादी करना समाज में वर्जित है लड़की की पंसद एवं सहमति पर ही शादी किया जा सकता है।

5. **भौजाई चूड़ी** - सामाजिक परम्परा के अनुसार दुर्भाग्य से किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर परिवार के किसी देवर के साथ पारिवारिक सलाह मशविरा के बाद भौजाई चूड़ी क्षेत्रीय स्तर के समाज प्रमुखों के उपस्थिति में पहनाने का रिवाज है

6. **चूड़ी पहनाना** - शादी हो जाने के बाद यदि कोई लडकी अपने पति को छोडकर भाग/चली जाती है या लडका उसे छोड़ देता है तो उस विवाहित स्त्री को किसी स्वजातीय रिश्ते–नाते के अनुकूल पुरुष के साथ आपसी सहमति होने पर सामाजिक पंचो के उपस्थिति में चूड़ी पहनाया जा सकता है। दोषी पक्ष के विरुद्ध सामाजिक दंड का प्रावधान है जो क्षेत्रीय मुखिया अथवा परगना मांझी के स्वविवेक पर निर्भर होगा।

7. **करसा शादी** - शादी के कुछ दिन पश्चात् ही अगर कोई स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री के साथ उसके कुवारा देवर यदि ऐसे उसके साथ शादी करने का इच्छुक पाये जाने पर दोनों की सहमति से अथवा किसी विवाहित स्त्री के साथ कोई कुवारा रिश्ते नाते का लडका उस महिला के साथ गृहस्थ जीवन जीना चाहते है तो करसा शादी करने की परम्परागत व्यवस्था प्रचलित है।

8. **सामुहिक विवाह** - (अ) गोंड जनजाति के सामाजिक संगठन द्वारा सामुहिक विवाह को प्रोत्साहित किया जारहा है। प्रत्येक युगल को विवाह पंजीयन शुल्क 551 रूपये देय है।

(ब) यदि गांव में एक से अधिक लडकियों की शादी हो तो यथा संभव सभी बारात एक ही दिन बुलाने की व्यवस्था किया जाए। ऐसा पहल गांव के सामाजिक पंचों/प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी।

5.3 मृत्यु संस्कार

गोंड समुदाय में मृतक को दफनाने की प्रक्रिया है लेकिन महामारी, बीमारी तथा अल्प कालिक मृत्यु पर शव को जलाया जाता है।परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्त्रियां विलाप करती हैं, जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते हैं और सभी को सूचना देते हैं। सभी संबंधियों के एकत्र होने के पश्चात मृतक के लिए दो बांस या लकडी का सीढी तैयार करके चटाई बिछाकर उस पर सफेद कपडा बिछाया जाता है मृतक के परिवार के सगासंबंधी ही उसके लिए नया कपडा लेकर आते है जिसे शव के उपर ढंक दिया जाता है। इसके बाद शव यात्रा के शमसान में पहुंचने पर दूसरे गोत्र के सदस्य कब्र खोदते हैं। इसके बाद शव को कब्र में रखने के पश्चात् मृतक का पुत्र या पिता या भाई या पति सर्वप्रथम शव पर मिट्टी डालता है। इस संबंधी तथा ग्रामीण एक–एक मुट्ठी मिट्टी शव पर डालते हैं तथा शव को मिट्टी से पूरी तरह ढंक दिया जाता है।

श्मशान से सभी नदी या तालाब जाकर नहाते है व मृतक के घर वापस लौटते है। वापस घर लौटने पर बिस्सर छुआनी के रस्म महुआ का रस में सुखसी (सुखी मछली) को भिगोकर किये जाने का रिवाज है।

मृत्यु के तीसरे दिन तीज नहावन किया जाता है। नहावन के समय महिलाओं के द्वारा कुण्डा (जीव आत्मा) को घर में सुरक्षित लावें। गट्टा (भांजा या मामा पक्ष), दोशी के द्वारा पूजा अर्चना कर सेवा करें।कुण्डा (जीव आत्मा) को घर में कुण्डा टिकावन दोशी/समाधान में किया जाने की परम्परा है। घर के सियानों को ही कुण्डा में स्थापित किया जाये। सुदेश में राशि ही अर्पित किया जावे।

मृत्यु संस्कार के अंतिम दिन पुजारी समधान (अक्का मामल) एवं बेटियों केइ यथा शक्ति अनुसार दान (चिन्हा बुदा) दिया जा सकता है। मृतक परिवार समाज द्वारा आर्शीवाद दिया जाना होता है। मुण्डन कार्यक्रम विवाह संबंधी गोत्र के द्वारा किया जाता है।

5.4 गोंड जनजाति में जीवन संस्कार संबंधी नियम व प्रथागत कानून -

5.4.1. जन्म एवं नामकरण संस्कार संबंधी नियम व प्रथागत कानून -

1. नामकरण के समय समाज फण्ड में बच्चे के नाम से पजीयन शुल्क में 151रूपये ग्राम के सामाजिक संगठन कोष में जमा करना आवश्यक है।

2. नामकरण संस्कार में परिवार को छोड कर शेष सभी लोग वस्तु भेंट के स्थान पर नगद राशि प्रदान करें या नियमतः चावल दे सकते है।

3. नामकरण संस्कार में शराब प्रतिबंधित है। नाल (बोम्ल मुड़ी पूंगार फूल)झडने के बाद बच्चे को कुटुम्ब पेन में मिलाते हेतु महुआ फूल अर्पित कर सकते है।

5.4.2. विवाह संस्कार संबंधी नियम व प्रथागत कानून -

1. समाज में बाल्यावस्था में शादी–विवाह निषेध है अर्थात् वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।
2. विवाह हेतु लडकी–लडका को एक–दूसरे में पसंद एवं सहमति आवश्यक है।
3. विवाह ममेरे–फूफेरे संबंधियों (समधान गोत्र) में होना आवश्यक है अर्थात् सम–सम एवं विषम–विषम गोत्रों में शादी करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, इस नियम के उल्लंघन होने पर 10,051 रु. अर्थदण्ड का प्रावधान है।
4. विवाह परंपरागत रीति–रिवाज से किया जाना अनिवार्य है। समाज में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को सत्ता देने का पारम्परिक रिवाज है। विवाह संस्कार गोंडी रीति से सम्पन्न किया जाना चाहिये।अन्य पूजा पद्धति से विवाह सम्पादित करने पर समाज द्वारा अर्थदण्ड 21051 रूपये का प्रावधान किया गया है।
5. वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न होने तक दोशी को मंदिरा निषेध है। शादी सम्पन्न पश्चात घरवालों द्वारा दोशी को यथोचित भेंट कर सम्मान करने का नियम है।
6. विवाह में सामाजिक बाजा का उपयोग किया जाये।इस हेतु वैवाहिक कार्यक्रम में लडका शादी में अधिकतम 6000 रु. तथा लडकी शादी में अधिकतम 4000 रु. राशि दिया जाना चाहिये।
7. विवाह में माईक, डी.जे. एवं भोज में बफे सिस्टम पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को 10,000 रु. अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। संबंधित गांव के सामाजिक पंचों/प्रमुखों के द्वारा इस पर नियंत्रण रखा जाय।
8. वैवाहिक कार्यक्रम के समस्त नेंग में शराब वर्जित है इसके स्थान पर महुए का फूल को शुद्ध पानी में भिगोकर तर्पण करने का नियम बनाया गया है।
9. एक दिवसीय विवाह नियमावली 2004 के अनुसार समाज में एक दिवसीय विवाह को व्यवहार में लाये जाने निर्णय लिया गया था, जिसे इस महासभा में मान्यता दी गई है।
10. मंझली शादी नियमावली 2004 के अनुसार समाज में मंझली शादी प्रतिबंधित था महासभा 2014 के परिचर्चा उपरान्त मंझली शादी की प्रासंगिकता एवं समय एवं परिस्थितियो को देखते हए मंझली शादी को ऐच्छिक किया गया है।

11. लमसेना शादी में यदि विवाहोपरान्त लडकी लडका को छोड़ कर भाग जाती है तो लडकी के पिता दामाद को अपने घर में रहने तक की अवधि में भोजन खर्च के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रुप में भुगतान करेगा यदि इसके विपरीत लडका, लडकी को छोड देता है तो क्षेत्रीय सामाजिक संगठन स्वविवेक से लडकाया उनके पक्ष को दण्डित कर सकेगा जो 50,000 रुपये से कम नही होगा।

12. जब कोई लडका/लड़की किसी वैवाहिक पक्ष अर्थात् अक्कोमामा पक्ष के लड़का/लड़की के साथ भाग जाता/जाती है। ऐसे स्थिति में शादी के पूर्व सामाजिक प्रमुखों के द्वारा यथोचित जांच करने बाद रिश्ते–नाते सही पाये जाने पर शादी करा सकते है और शादी के बाद नव दंपत्ति को वर के घर पहुंचा देने का रिवाज है जहां नियमानुसार रस्म (नेंग–नता) पटाने का प्रावधान रखा गया है ऐसे शादी करने वालो पर 2051 रु. का अर्थदण्ड का प्रावधान है।

13. किसी लडकी को जबरदस्ती पकडकर शादी करना समाज में वर्जित है लडकी की पंसद एवं सहमति पर ही शादी किया जा सकता है। इस नियम के उल्लंघन पर 20,051 रु. का आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

14. सामाजिक परम्परा के अनुसार किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर परिवार के किसी देवर के साथ पारिवारिक सहमति के आधार पर भौजाई चूड़ी क्षेत्रीय स्तर के समाज प्रमुखों के उपस्थिति में पहनाने का रिवाज है तदुपरांत नियम भंग की स्थिति में दोषी पक्ष पर 1051रु. सामाजिक दण्ड का प्रावधान है।

15. शादी हो जाने के बाद यदि कोई लडकी अपने पति को छोडकर भाग/चली जाती है या लडका उसे छोड़ देता है तो उस विवाहित स्त्री को किसी स्वजातीय रिश्ते–नाते के अनुकूल पुरुष के साथ आपसी सहमति होने पर सामाजिक पंचो के उपस्थिति में चूड़ी पहनाया जा सकता है। दोषी पक्ष के विरुद्ध सामाजिक दंड का प्रावधान है जो क्षेत्रीय मुखिया अथवा परगना मांझी के स्वविवेक पर निर्भर होगा।

16. शादी के कुछ दिन पश्चात् ही अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री के साथ उसके अविवाहित देवर यदि उसकेसाथ विवाह करने का इच्छुक पाये जाने पर दोनों की सहमति से अथवा किसी विवाहित स्त्री के साथ कोई अविवाहित नातेदार लडका उस महिला के साथ गृहस्थ जीवन जीना चाहते है तो करसा शादी करने की परम्परागत व्यवस्था प्रचलित है।

17. सामुहिक विवाह को समाज द्वारा प्रोत्साहित किया जारहा है कि सामाजिक सदस्य अपने–अपने क्षेत्र में विवाह योग्य लडके–लडकियों को सामुहिक विवाह हेतु तैयार कर प्रतिवर्ष चौतरई पर्व पर ब्लाक स्तर या क्षेत्रीय स्तर सामुहिक विवाह सम्पादित कराया जाये। इस हेतु प्रत्येक युगल को विवाह पंजीयन शुल्क 551रु.देय है।

18. यदि गांव में एक से अधिक लडकियों की शादी हो तो यथा संभव सभी बारात एक ही दिन बुलाने की व्यवस्था किया जाए। ऐसा पहल गांव के सामाजिक पंचों/प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी।

19. समाज में वर्जित/प्रतिबंधित शादियां–कोर्ट या न्यायालय में किये गये शादी को सामाजिक मान्यता नहीं है। उल्लंघनकर्ता को सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा तथा आवेदन प्रस्तुत करने पर 10,051 रु. आर्थिक दण्ड के भुगतान करने के बाद रिश्ता सही पाये जाने पर सामाजिक रीति–रिवाज से विवाहोपरान्त ही शादी को सामाजिक मान्यता दी जाएगी।

20. तलाक या विवाह विच्छेद का निपटारा न्यायालय में न होकर पारम्परिक सामजिक व्यवस्था के तहत होगा। इसका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा सामाजिक बहिष्कार की व्यवस्था की गई है। आवेदन प्रस्तुत करने पर 10,000 रु. अर्थदण्ड देय होगा।

21. अन्य सम्प्रदाय पर आधारित शादी जैसे– आर्य समाज, गायत्री, राधास्वामी या इसाई सम्प्रदाय के पद्धति से की गई शादी गोंड समाज में अमान्य/निषेध है। गोंड समाज के रीति–रिवाज के अनुसार सामाजिक विवाह संस्कार को सम्पादित करने पर सामाजिक मान्यता दी जा सकेगी।

वर्ष 2014 के गोंड महासभा, सिंगनपुर केशकाल में यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई गोंडी रीति–नीति को छोडकर अन्य सम्प्रदाय के रीति–नीति के अनुसार विवाह करता है तो सामाजिक बहिष्कृत के साथ साथ 25051 रु. अर्थदण्ड देय होगा। यदि वह समाज में सम्मिलित होना चाहता है तो पुनः सामाजिक रीति–नीति से विवाह एवं अन्य संस्कार करना अनिवार्य होगा।

22. मंगनी उपरांत संबंध विच्छेद–विवाह योग्य लडका लडकी के परस्पर रजामंदी एवं दोनों परिवार के सहमति होने पर मंगनी की रस्म की जाती है इस रस्म में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को एक साडी, एक नारियल दी जाती है। मंगनी उपरांत संबंध विच्छेद होने पर दोषी पक्ष को 1051 रु. अर्थदण्ड देय होगा।

23. फलदान उपरांत संबंध विच्छेद – इसे रस्म को दोनों पक्ष के पारिवारिक सदस्यों एवं समाज प्रमुखों के उपस्थिति में करते है। इस रस्म अदायगी पश्चात् शादी पक्की मान ली जाती है फलदान पश्चात् रिश्ता अस्वीकार करने या संबंध विच्छेद होने पर दोषी पक्ष को आर्थिक दण्ड 1551 रु. देना होगा।

24. कुर बांधना/(विवाह तिथि तय करना) – दोनों पक्षों की सुविधा एवं सहमति के बाद शादी की तिथि तय की जावेगी साथ ही शादी के समस्त कार्यक्रम भी तय की जा सकती है कुर बांधने के बाद संबंध छोडने पर दोषी पक्ष पर 20051 रु. सामाजिक एवं आर्थिक दण्ड है।

25. विवाह के रस्म प्रारम्भ होने के बाद यदि लडकी अथवा लडका के द्वारा वैवाहिक संबंध विच्छेद किया जाता है तो दोषी पक्ष 50,051 रु.दण्ड का भागी होगा।

26. विवाह के पनबुड़ी रस्म में वर पक्ष द्वारा लाये गये मुर्गी के तीन चूजे या चिंया अर्पित किया जाता है। समाज के पुरातन व्यवस्था को संरक्षण हेतु यह नियम का होना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर रु. 51 अर्थदण्ड निर्धारित है। गोंड महासभा के निर्णय अनुसार आवश्यकतानुसार नीबू प्रयोग की जावे।

27. **मडवा नाचना** - विवाह में रात्रि में मंडप में नृत्य किया जाता है। जिसमें परंपरागत रस्म के नृत्य, गीत एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गोंड महासभा के निर्णयानुसार आधुनिक डीजे/माईक का उपयोग पूर्णतः वर्जित है तथा मडवा नाचते समय अश्लील हरकत या गीत, गुंडागर्दी करने के दोषी पाये जाने पर 10000 रु. का अर्थदण्ड देय होगा। अगर ग्रामीण इसमें दोषी पाये जाते हैं तो ग्रामीणों को 5000 रु. अर्थदण्ड पृथक–पृथक देय होगा।

28. **अन्तर्जातीय विवाह** - कोई भी लडका/लडकी गोंड जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति के लड़का/लड़की से विवाह करता/करती है तो वह अन्तर्जातीय विवाह वर्जित है। अंतर्जातीय विवाह करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जायेगा। अन्तर्जातीय विवाह पर 7051 रु. सामाजिक एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

29. **पति का त्याग** - (अ) कोई पत्नी अपने पति को त्याग कर अन्यत्र भाग/चली जाती है तथा संबंध विच्छेद कर लेती है तो लडका पक्ष बिहात राशि 30,051 रु. लेने का हकदार होता है उक्त राशि में लडका पक्ष को 20,000 रु. समाजिक कोष में 7,051 रु. एवं 3000 रु. सामाजिक पंच को देय होगा तथा नियमानुसार सामाजिक भोज की व्यवस्था पृथक से करना होगा। ऐसी महिला को जीवन निर्वाह भत्ता मांग करने की अधिकार नहीं होगा। (ब) इसी तरह पत्नी को पति छोडने पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।

30. **पत्नी का त्याग** - यदि कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उससे अपना संबंध विच्छेद कर देता है तो पत्नी समाज के समक्ष अपना पक्ष एवं दावा पेश कर सकती है उसे समाज द्वारा उचित न्याय दिया जायेगा। यदि पत्नी पति के साथ रहना चाहती है तो पति के सम्पत्ति पर पत्नी का बराबर का अधिकार होगा। लेकिन संपत्ति बेचने के पूर्व समाज की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

31. **अवैध संबंध से संबंधित विधान** - (अ) यदि गोंड समाज के युवक–युवती का अवैध संबंध स्थापित हो जाता है तथा युवती गर्भवती हो जाती है साथ ही शादी के पूर्व एक नवजात शिशु को जन्म देती है तो दोनों का गोत्र विवाह योग्य होने परप्रत्येक पक्ष को सामाजिक दण्ड 2501 रु. देना होगा तत्पश्चात् विवाह किया जा सकेगा। अस्वीकार करने पर उस पक्ष को आर्थिक दण्ड 5001 रू. देय होगा और दण्ड राशि के अलावा भरण पोषण भी करना जब तक की लडकी अपना दूसरा जीवन साथी नहीं बना लेती। ऐसे प्रकरण में अवैध संबंध रखने वाले युवक को शिशु का पिता माना जावेगा। ऐसे मामले सामाजिक फैसले के तहत उस युवक को बच्चे व मां (युवती) की परवरिश करनी होगी।

(ब)दोनों के गोत्र विवाह योग्य न होने की स्थिति में समाज द्वारा विवाह नही किया जायेगा। वेदम्पत्ति समाज से बहिष्कृत होंगे।

(स) अन्य जाति के किसी पुरुष से गोंड जाति की महिला से अवैध संबंध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति से आर्थिक दण्ड न्यूनतम 51,001 रु. लेने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरण में संबंधित महिला एवं परिवार को नियमानुसार सामाजिक बहिष्कार पश्चात् उनके आवेदन आने पर 10,051 रु. आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। यदि उस लडकी के नाम में कोई अचल संपत्ति हो तो वह उनके मां–बाप या निकटतम परिवार के सदस्य को परम्परानुसार सुपुर्द की जायेगी। प्रकरण का निराकरण एक वर्ष बाद किया जावेगा अर्थात् एक वर्ष तक समाज से बहिष्कृत रखने का परांपरिक रिवाज है। विशेष परिस्थिति जैसे मृत्यु संस्कार में सामाजिक कार्य किया जा सकता है।

अन्य समाज के युवक द्वारा गोंड जाति की युवती के नाम पर किसी भी प्रकार का चल–अचल संपत्ति के क्रय–विक्रय दस्तावेज में लडकी के माता–पिता के नाम उल्लेखित नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो क्रय–विक्रय अवैध माना जावेगा।

(द) यदि स्वजातीय पुरुष का अन्य जाति के महिला से अवैध संबंध हो जाता है तो ऐसे पुरुष को परिवार सहित समाज से बहिष्कृत किया जावेगा। तत्पश्चात् ऐसे परिवार की ओर से आवेदन आने पर समाज संगठन द्वारा परम्परानुसार निर्णय लिया जावेगा ऐसे प्रकरण में 32,051 रु. तक दण्ड और सामाजिक भोज का प्रावधान है।

1. विवाह विच्छेद पर व्यवस्था -

(अ) बिना संतान के विवाह विच्छेद होने पर पीडित पक्ष को दोषी पक्ष द्वारा 30,051 रु. देगा। इसमें से 25 प्रतिशत राशि समाज के पास कोष में जमा रहेगा शेष राशि पीडित पक्ष को दिया जायेगा।

(ब) संतान होने के पश्चात् विवाह विच्छेद होने पर (नाबालिक के स्थिति पर) 5 साल उम्र तक बालक/बालिका माता के पास रहेगा/रहेगी। उसके पश्चात् बालक/बालिका पिता की सहमति पर पिता को सौपा जायेगा। यदि पिता रखने से मना करता है तो उस स्थिति में बालक/बालिका के पिता द्वारा भरण पोषण एवं शिक्षा का व्यवस्था किया जावेगा।

(स) वयस्क संतान होने की स्थिति पर पुत्र/पुत्री हो तो उसके पिता के द्वारा ममेरे–फूफेरे पक्ष के योग्य लडका/लड़की से शादी सम्पन्न करायेगा और यदि संतान लडका हो तो पिता के चल अचल संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा।

5.4.3. मृत्यु संस्कार संबंधी नियम एवं प्रथागत कानून

1. मृतक को मरघट में मिट्टी में दफनाने की परम्परा है।
2. महामारी, बीमारी, दुर्घटना तथा अल्प कालिक मृत्यु पर शव जलाया जाता है।
3. महिलाओं को कीचड़, रंग–गुलाल, राख खेलना मना हैं। इस नियम के उल्लंघन पर 51 रु. दण्ड का प्रावधान है।
4. घर के सियानों को ही कुण्डा में स्थापित किया जाता है।
5. मृत्यु भोज में मांस मंदिरा का सेवन निषेध है।
6. मुण्डन कार्यक्रम विवाह संबंधी गोत्र के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

अध्याय - 6

सामाजिक संरचना एवं प्रथागत कानून

प्रत्येक समाज अनेक इकाईयों से मिलकर बना होता है, ये उप इकाईयाँ व्यवस्थित व क्रमबद्ध होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसमे जनजाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। सामाजिक संरचना, सामाजिक समूहों, इकाईयों, संस्था व व्यक्तियों द्वारा स्थितियों व भूमिकाओं की क्रमबद्धता है। गोंड जनजाति की सामाजिक संरचना का विवेचन निम्नानुसार है –

6.1 जनजाति

बस्तर के गोंड जनजाति के संबंध में रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India"(1916) Vol.- III के पृष्ठ क्र. 64 के अनुसार "The Gonds of Bastar are divided into two groups, the Maria and the Muria. The Maria are the wilder, and are apparently named after the Mad, as the hilly country of Bastar is called. Mr. Hira Lal suggests the derivation of Muria from mur, the palas tree, which is common in the plains of Bastar, or from mur, a root.Both derivations must be considered as conjectureal. The Murias are The Gonds who live in the plains and are more civilized than the Marias.

(बस्तर के गोंड मुरिया एवं माड़िया समुहों में विभाजित हैं। जिसमें माड़िया ज्यादा पिछड़े हुए हैं तथा उनका जाति नाम माड़ से उत्पन्न हुआ है जो बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र के कहा जाता है। हिरालाल के अनुसार मुरिया शब्द की व्युत्पत्ति 'मूर' अर्थात बस्तर के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पलाश वृक्ष से बना है या 'मूर' अर्थात जड़ से बना हुआ है। दोनों व्युत्पत्तियॉ अनुमानित है। मुरिया वह गोंड हैं जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तथा माड़िया लोगो से अधिक सभ्य हैं।)

6.2 गोत्र

गोंड जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य देव मानता है, जिसके वार्षिक या त्रिवार्षिक पूजा में गोत्र के सदस्य मुख्य देव/देवी स्थल में होते हैं। गोंड जनजाति के गोत्र अनेक भाई गोत्र तथा विवाह संबंधी गोत्र के समूह में विभाजित हैं, जिसे वे अक्कोमामा व दादाभाई संबोधित करते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में गोंड जनजाति में पाए जाने वाले मुख्य गोत्र निम्न है –

मण्डावी,	उइके,
अयके,	नेताम,
पोटाई,	गावड़े,
दर्रो,	सलाम,
कड़ियाम,	मरकाम,
मड़काम,	मरई,
नरेटी,	नुरेटी,
नुरूटी,	गोटी,
गोटा,	आंचला,
आचला,	कोमरा,
मरापी,	कोर्राम,
ध्रुव,	मरई,
कोला,	कुमेटी,
शोरी,	नाग,
आयला,	ओयला,
बुई,	कोरेटी,
कोड़ेपी,	मातलाम,
छुर्री,	दुग्गा
वट्टी	

6.3 परिवार

गोंड जनजातीय समाज की प्रारंभिक तथा आधारभूत इकाई परिवार है। गोंड जनजाति के परिवारों में वरिष्ठ पुरूष मुखिया होते हैं। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय मुखिया द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति में संरचना के आधार पर केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार होते हैं। परिवारों में मुखिया या सत्ता

पुरूष के पास अर्थात् पितृसत्तात्मक होते हैं। गोंड परिवार पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार युक्त होते हैं। इन परिवारों में वंश पुरूष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। आवास के आधार पर पितृस्थानीय व नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं। गोंड दंम्पत्ति विवाह के पश्चात् वर के पिता के आवास पर नये आवास मे निवास करते है। गोंड परिवार एकल विवाही तथा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं।

6.4 नातेदारी

गोंड जनजाति मे रक्त तथा विवाह संबंधी नातेदारी पाया जाता है। रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत ऐसे सदस्य शामिल हैं जो एक–दूसरे से रक्त संबंध के आधार पर संबंधित हो जैसे– माता–पिता, भाई–भाई, भाई–बहन आदि।विवाह संबंधी नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत विवाह के कारण एक–दूसरे से संबंधित सदस्य तथा दोनों परिवार के सदस्य शामिल हैं। जैसे– पति–पत्नी, सास–ससुर, जीजा–साला आदि।

6.5 नातेदारी रीतियाँ

अ. परिहास संबंध

गोंड जनजाति में कुछ विवाह संबंधियों के मध्य हंसी–मजाक या हास–परिहास के संबंध पाये जाते हैं। यह संबंध आपसी रिश्ते को निकटता तथा मजबूती प्रदान करते हैं। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। यह निम्न संबंधियों में मान्य है –

देवर – भाभी

जीजा – साली, साला

समधी – समधन

नाना – नाती–नातिन

दादी – पोता–पोती

ब. परिहार संबंध

गोंड जनजाति में परिहास संबंध में विपरीत परिहार संबंध पाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों को दूर रखा जाता है। परिहार संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत नहीं किया जाता है, एक–दूसरे को स्पर्श करना वर्जित है। इन नियमों का अनिवार्य रूप से परिहार संबंधियों को पालन करना पड़ता है। गोंड जनजाति में परिहार संबंध इस प्रकार है –

जेठ	–	बहू
ससुर	–	बहू
सास	–	दामाद
दामाद	–	डेढ़सास

स. अन्तर्जातीय संबंध

गोंड जनजाति निवास क्षेत्र में ब्राम्हण, क्षत्रिय, राउत, तेली, कुम्हार, हल्बा, मुरिया, माड़िया, धुरवा, पनका, लोहार, धोबी, गांडा आदि जाति–जनजाति के सदस्य निवासरत है। एक साथ निवास करने के कारण इन जनजातियों में पारस्परिक औपचारिक संबंध पाये जाते हैं। इस कारण ये आयु–लिंग के आधार पर सम्मानपूर्वक एक–दूसरे को नातेदारी शब्द से संबोधित करते हैं। इन जनजातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। इस प्रकार ग्रामों के विभिन्न जाति–जनजातियों में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध पाये जाते हैं तथा एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने के कारण आपसी सामंजस्य तथा सद्भाव पाया जाता है। इसके विपरीत इन ग्रामों में जन्म, खान–पान तथा कार्य के आधार पर विभिन्न जाति–जनजाति में सामाजिक नियम–निषेध तथा स्तरीकरण पाया जाता है।

6.6 गोंड जनजाति में सामाजिक जीवन से संबंधित नियम तथा प्रथागत कानून -

1. गोंड जनजाति के परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। ये पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार युक्त होते हैं। इन परिवारों में उपनाम, वंश व गोत्र पुरूष या पिता के आधार पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है।
2. गोंड जनजाति में यदि कोई दंपत्ति संतानहीन हैं तो दत्तक ग्रहण हेतु परिवार के सदस्य के संतान या स्वगोत्रीय बच्चे को प्राथमिकता देते है।
3. गोंड जनजाति में कुछ विशिष्ट संबंधियों के मध्य परिहार संबंध अर्थात् कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों को दूर रखा जाता है।
4. गोंड जनजाति में विवाह संबंधियों की अनेक सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग लिया जाता है।
5. किसी व्यक्ति या परिवार के जाति से बहिष्कृत होने की दशा में समाज द्वारा उक्त व्यक्ति या परिवार से व्यावहारिक रूप से सामाजिक दूरी की रीति का निर्वहन करते हैं। जिसका पालन सभी परिवारों व सदस्यों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है।

6. गोंड जनजाति में एक गोत्र एवं सम गोत्र समूह के सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। वे गोत्र तथा गोत्र समूह बहिर्विवाही जनजाति है अर्थात ऐसे गोत्र में विवाह निषेध है। प्रेम संबंध या अन्य कारण यदि ऐसी घटना घटित होती है तो दोनों पक्ष को दंडित किया जाता है।
7. गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र के टोटम अर्थात् प्रतीक मान्य किया गया है। यह पशु–पक्षी, वनस्पति आदि के रूप में होते हैं। अपने गोत्र के टोटम को नुकसान पहुंचाना या हत्या करना अपराध माना जाता है। एक गोत्र के सदस्य दूसरे गोत्र के टोटम के पशु–पक्षी, वनस्पति का उपयोग या उपभोग कर सकते हैं।
8. किसी स्वजन का डेढसास, भाई बहु, देवर देवरानी, भांजा भांजी से मारपीट होने पर विवाह संबंधी (समधान) द्वारा नारियल से अर्जी सेवा कर दोष मुक्त करने का रिवाज है।

❑❑❑❑

अध्याय - 7

आर्थिक जीवन एवं प्रथागत कानून

गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के पूरे उत्तरी क्षेत्र में निवासरत् हैं। यह क्षेत्र मैदानी तथा वनयुक्त होने के कारण गोंड जनजाति के सदस्य बहु–स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गोंड जनजाति के सदस्य कृषि मजदूरी, संकलन, मछली मारना, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्न है। गोंड जनजाति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त साधनों पर निर्भर हैं। इनमें प्रचलित अर्थव्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है :–

7.1 सम्पत्ति

गोंड जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। गोंड जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

7.1.1 सामूहिक सम्पत्ति – ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के रूढ़िगत सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी–नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

7.1.2 पारिवारिक सम्पत्ति – परिवार के मुखिया व सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्जित सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति माना जाता है। इसमें पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति भी शामिल है। इसके अंतर्गत मकान, पशु, भूमि, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

7.1.3 व्यक्तिगत सम्पत्ति – स्वयं के उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया या स्वतः प्राप्त वस्तु सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें कृषि उपकरण, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल आदि शामिल है।

7.2 सम्पत्ति का हस्तांतरण

गोंड जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। सभी पुत्रों में संपत्ति का समान वितरण होता है। सम्पत्ति के विभाजन के दौरान यदि माता–पिता जीवित हो तो एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है तथा माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् यह हिस्सा सभी भाईयों में समान रूप से बांटा जाता है।

7.3 आर्थिक संरचना

गोंड जनजाति के आर्थिक संरचना में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य सामूहिक व एकल रूप से किया जाता है। वे वन से कंदमूल, फल–फूल, पत्ते, जड़ आदि का संकलन करते हैं।

गोंड जनजाति के स्त्री–पुरूष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी–नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का कार्य उपभोग हेतु किया जाता है।

कृषि आर्थिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गोंड जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गोंड सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतो में तथा मरहान में अनाज, दाले, तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। गोंड जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है। गोंड जनजाति के सदस्य धान के साथ–साथ मक्का, मंडिया, कोसरा, सरसों, उड़द, राहर, कुल्थी, तिल आदि फसल उत्पादित करते हैं।

गोंड जनजाति के सदस्य सहायक आर्थिक क्रिया के रूप में गाय, बैल, बकरा–बकरी, भैंस, भैंसा मुर्गी–मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन करते है।

गोंड जनजाति के सदस्य वन आधारित कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। गोंड स्त्री–पुरूष खेत की मरम्मत, निंदाई, कटाई, मिंजाई आदि कार्य में दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। गोंड सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत, निर्माण कार्य तथा वन विभाग में मजदूरी कार्य करते हैं। गोंड जनजाति के कुछ सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विभिन्न पदों पर नौकरी करने लगे हैं। गोंड जनजाति के कुछ सदस्य स्व सहायता समूह, सरकारी समिति, व्यवसाय, ठेकेदारी आदि कार्यों के द्वारा भी आय प्राप्त कर रहे हैं।

7.4 गोंड जनजाति में आर्थिक जीवन से संबंधित नियम तथा प्रथागत कानून -

गोंड जनजाति में आर्थिक जीवन से संबंधी वर्तमान में प्रचलित नियम तथा प्रथागत कानून निम्नांकित हैं –

1. गोंड जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। गोंड जनजाति में सभी भाईयों या पुत्र संतान को संपत्ति का समान वितरण किया जाता है।पुत्री या बहन का पैतक सम्पत्ति पर अधिकार नही होता है। माता पिता एवं भाई अपने संपत्ति को स्वेच्छा से अपने संबधियों को दे सकते है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अवहेलना करके न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में जाने हेत बाध्य करने वाले को 5100 रु. का सामाजिक दण्ड देय होता है।

2. यदि किसी दंपत्ति की केवल कन्या संतान या संतानें हो तो अपने माता–पिता की संपत्ति पर कन्या या कन्या संतानों का अधिकार होगा। एक से अधिक कन्या संतान होने पर संपत्ति का समान वितरण किया जाता है।

3. लमसेना विवाह पश्चात् लमसेना (घर जमाई) का अपने सास–ससुर एवं लडकी का अपने माता–पिता की सम्पत्ति पर दोनों का समान रुप से अधिकार होगा।

4. यदि गोंड जनजाति की महिला अन्तर्जातीय विवाह कर लेती है तो संबंधित महिला को समाज से अलग/बहिष्कृत माना जायेगा। ऐसी परिस्थिति में ऐसे महिला के नाम से अचल संपत्ति उनके निकटतम रिश्तेदार को सुपुर्द की जायेगी, संबंधित महिला आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति से चल–अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकेगी यदि ऐसा करता है तो क्रय की गई संपत्ति को विक्रेता अथवा निकटतम रिश्तेदार को (गोंड समाज का व्यक्ति) को लौटाना होगा।

5. अन्य जाति का व्यक्ति किसी गोंड जाति के व्यक्ति के नाम पर किसी गोंड जाति के व्यक्ति से भूमि अथव अचल संपत्ति क्रय करता है तो जांच पड़ताल पश्चात् गैर जाति के व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में संरक्षण देने वाले को 5100 रु. का अर्धदण्ड देय होगा।

6. यह जानते हुए भी कि गैर जाति का व्यक्ति गोंड जाति के व्यक्ति के भूमि का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करेगा इसके बाद यदि कोई गोंड जाति का व्यक्ति अपने नाम पर भूमि क्रय कर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए गैर जाति के व्यक्ति को सौपता है या भूमि का विक्रय करता है तो क्रेता एवं विक्रेता को रु. 20000 रू. का जुर्माना देना होगा। ऐसे सामाजिक परिवार के सदस्य सामाजिक संगठन में निषेध किया जायेगा।

❑❑❑❑

अध्याय - 8

धार्मिक जीवन एवं प्रथागत कानून

गोंड जनजातीय धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। गोंड आलौकिक या अधि मानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर आराधना करते हैं, बलि के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गोंड जनजाति के देवी–देवता निम्न है –

8.1 देवी-देवता

गोंड जनजाति के देवी–देवताओं का विवरण निम्न है –

8.1.1 ''कुटुम देव''(कुल देवी-देवता) - गोंड जनजाति में गृह देवी–देवता, गोत्र तथा परिवार के अनुसर नियत है। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने घरों में तीन स्थल पर देवी–देवता का वास मानते हैं :–

अ. ''मुदियाल लोन'' (पूजा कक्ष) - गोंड जनजातीय सदस्य के आवास के अंदर के पूजा कक्ष को ''देवघर'' या ''डूमाघर'' कहते हैं, जिसके एक किनारे में मिट्टी का चबूतरा बना होता है, जिसमे तीन देवी–देवताओं के प्रतीक के रूप में पहला, एक चाकू गाड़ते हैं। दूसरा लकडी़ का खूंटा तथा तीसरा, मिट्टी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यह परिवार के गृह तथा पूर्वज देवी–देवता होते हैं। प्रत्येक त्यौहार में इन गृह देवी–देवताओं की विशेष पूजा किया जाता है।

ब. ''कोड़का'' (गौशाला) - गोंड परिवार के पशुशाला में पशुओं की रक्षा करने वाली ''बंजारिन माता'' (बंजारिन देवी) को स्थापित किया जाता है। जिनकी ''दियारी'' त्यौहार में विशेष पूजा करते हैं तथा बलि देते हैं।

स. आँगन - प्रत्येक गोंड परिवार के आवास के प्रवेश द्वार में ''दुआर मुंडिया'' देव को स्थापित किया जाता है। परिवार के मुखिया द्वारा प्रत्येक त्यौहार में ''दुआर मुंडिया'' देव की पूजा कर आवश्यकतानुसार बलि दिया जाता है। ''दुआर मुंडिया'' देव घर, बाड़ी, आंगन की सुरक्षा व बुरी आत्माओं से बचाव करता है।

8.1.2 ग्राम देवी-देवता - ग्राम देवी–देवता के अंतर्गत वे देवी–देवता शामिल हैं जिन्हें सभी गोंड परिवार व ग्राम के अन्य लोग भी पूजा करते हैं। इन देवी–देवताओं को ''देवगुड़ी'' या मंदिर में स्थापित किया जाता है। देवगुड़ी ग्राम के मध्य या ग्राम से बाहर स्थित होता है, इसमें ग्राम के मुख्य देवी–देवता ''तलुरमुत्ते'', ''जिमीदारिन या शीतला माता'','मावली माता', लिंगोपेन, ठाकुर देव, काली माता, कंकालीन माता, परदेशीन माता आदि में से दो–तीन देवी–देवताओं को स्थापित किया जाता है। इन देवी–देवताओं की सभी प्रमुख अवसरों पर पूजा किया जाता है व बलि चढ़ाया जाता है। ग्राम में स्थापित प्रमुख देवी–देवता निम्न है–

अ. **तलुरमुत्ते (ग्राम देवी)** - ''तलुरमुत्ते'', ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। इन्हे अलग–अलग ग्रामों में पृथक नामों से पूजा किया जाता है। समस्त त्यौहार उत्सवों में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चॉवल, पशुबलि आदि अर्पित कर विशेष पूजा किया जाता है।

ब. **मावली माता** - मावली माता ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। इन्हे अलग–अलग ग्रामों में पृथक नामों से पूजा किया जाता है। समस्त त्यौहार उत्सवों में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चॉवल, पशुबलि आदि अर्पित कर विशेष पूजा किया जाता है।

स. **जिम्मीदारिन या शीतला माता** - जिम्मीदारिन या शीतला माता, ग्राम देवी हैं, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। सभी तीज–त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

परदेशीन माता - परदेशीन देवी ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। सभी तीज–त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

फ. **बूढ़ा देव** - गोंड जनजाति में बूढ़ा देव को प्रमुख आराध्य देव माना जाता है। इनकी पूजा कुल देव व ग्राम देव के रूप में किया जाता है। बूढ़ा देव नवजीवन, सुख–शांति प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं।

ग. **लिंगोपेन** - लिंगोपेन, गोंड जनजाति के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। इन्हें "घोटूल" नामक युवागृह का संस्थापक माना जाता है।

8.1.3 **रियासत स्तर के देवी-देवता** - बस्तर राज्य की समस्त आराध्य देवी–देवताओं को संपूर्ण रियासत में प्रमुख देवी–देवताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। गोंड जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी–देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, आंगा पाटा की आराधना करते हैं।

गोंड जनजातीय सदस्य कुल देवी–देवता, ग्राम देवी–देवता व रियासत कालीन देवी–देवता के साथ ही कुछ स्थान व परिवारों में उसे मुदियाल, रामलाल मुदियाल, भीमा, भंगाराम, भैरम, चिकटराज, रासमाता, मेजेदेव, सहाड़ा देव, भंईसासूर व गौरा–गौरी आदि देवी–देवातओं का भी पूजा अर्चना करते है।

8.2 प्रमुख त्यौहार

गोंड जनजाति के प्रमुख त्यौहार 'हेसला दोसना तिहार'/''सेसा'', चैतरई परब (आमा तिहार), ''विज्जा कोर्र'' (माटी तिहार), ''कोहला पुनांग/अमुस/आमाऊस/हरेली, नुआखानी/नवाखाई, 'चरू', दियारी, दसहला, छेरतांग/छेरता/छेरछेरा, 'पूस कोलांग', पंहुचानी/पोंहचानी आदिहैं।

8.3 आत्मा

गोंड जनजातीय धर्म का एक पक्ष आत्मा आधारित है अर्थात् गोंड आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा सदैव जीवित रहती है और अलग–अलग शरीर के माध्यम से उनका परिवार के सदस्य या अन्य रूपों में पुनर्जन्म होता है या वे ''हानाडुमा'' पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करती हैं।

गोंड परिवार में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति की आत्मा ''हानाडुमा'' को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर ''डूमाघर'' (पूजा कक्ष) में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार परिवार में बच्चे के जन्म होने पर नामकरण के पूर्व अनके विधियों से उस बच्चे के पूर्व जन्म का नाम तथा पूर्वज को ज्ञात किया जाता है।

8.4 जादू-टोना

गोंड जनजाति क्षेत्र में जादू–टोना का प्रचलन है। जादू–टोना करने वाले व्यक्ति विभिन्न साधना के माध्यम से अति मानवीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर विरोधियों के अहित करने का प्रयास करते हैं। जादू–टोना करने वाले पुरूष को ''पंगनाहा'' स्त्रियों को ''पंगनिहीन'' कहते हैं। ''पंगनाहा'' तथा ''पंगनिहीन'' अपने जादू के माध्यम से दूसरे को तंग करते है, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव मुक्त होने के लिए गोंड सदस्य ''पुजारी'', ''सिरहा'', ''गुनिया'' की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है।

8.5 गोंड जनजाति में धार्मिक जीवन से संबंधित नियम तथा प्रथागत कानून -

1. गोंड जनजाति में विभिन्न धार्मिक कार्यों में देवी–देवताओं को पूजन विधान के दौरान शराब अर्पित करने की परंपरा है। जिसमें बदलाव करते हुये समस्त धार्मिक कार्यो देवी–देवताओं की पूजा में शराब के विकल्प के रुप में महुए के फूल को नये मटके के शुद्ध पानी में भिगोकर देवी–देवताओं में अर्पित करते हुए तर्पण करने का नियम तय किया गया है।
2. गोंड जनजाति के परिवारों के कुल देवी–देवताओं के पूजा व प्रसाद परिवार की विवाहित कन्याओं को नही दिया जाता है। इसी प्रकार परिवार के पूजा कक्ष में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है।
3. ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यों में सभी परिवारों की सहभागिता अनिवार्य होता है यदि कोई परिवार शामिल नही होता या निर्धारित चंदा नही देता है तो समाज उस परिवार को आर्थिक दंड या चेतावनी दे सकता है।

4. दैवीय दण्ड होने पर शांति एवं शुद्धिकरण आवश्यक है। यह कार्य सामाजिक नियमानुसार करने का नियम है।

5. समाज से पृथक व्यक्ति को कथा हवन एवं दैविक कार्य में केवल पूजा तक सम्मिलित किया जाये। खान पान में सम्मिलित करना सामाजिक अपराध होगा।

6. जादू–टोना के मामले में दोषी पाये जाने पर चेतावनी दिया जाता है। यदि दोषी व्यक्ति अपने आचरण में सुधार नही करता है तो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।

7. मूलधर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन हो जाने पर यदि वह व्यक्ति फिर से गोंडी धर्म स्वीकार करना चाहता है, तो उसे धर्म परिवर्तन करने के जुर्म में दण्डित कर फिर से उसे मूल धर्म में आवश्यक रस्में पूर्ण कर मिला सकते हैं।

8. कोई परिवार/व्यक्ति धार्मिक रीति–नियम का पालन नहीं करते है, तो ऐसे व्यक्ति/परिवार सामाजिक लेन–देन से वंचित रखा जाता है।

9. जो कोई उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसान या अपवित्र इस आशय से करेगा कि धर्म का एतद द्वारा अपमान किया जाये तो उन्हें दण्डित किया जायेगा।

10. गोंड जनजाति में किसी स्वजन के धाव में जीव पड़ने पर भगवान दण्ड का प्रावधान है विवाह संबंधी (समधान) के द्वारा व्यक्ति को नहलाकर स्वजातियों के साथ बैठकर भोजन कराया जाता है। भोजन एक बार ही परोसा जाता है, शेष भोजन को पानी में विसर्जित किया जाता है अन्त में समधान द्वारा पानी से शुद्धिकरण किया जाता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 9

दैनिक जीवन से संबंधित प्रथागत कानून

गोंड जनजाति में दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों में व्यवस्था एवं नियंत्रण बनाये रखने हेतु अनेक नियम बनाये गये हैं। गोंड जनजाति समाज अपने नियमों व परंपराओं के पालन के प्रति कटिबद्ध है। इस कारण नियमों का पालन सभी जनों के लिये अनिवार्य होता है। इससे न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिलती है वरन् परंपरा का उचित निर्वहन भी होता है। गोंड जनजाति में दैनिक जीवन से संबंधित नियम का विवरण निम्नांकित है –

1. गोंड जनजाति में सामाजिक कार्यक्रम में मादक वस्तुओं का सेवन कर व्यवधान उत्पन्न करना सामाजिक अपराध माना गया है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उससे इस अपराध हेतु दंडस्वरूप राशि 10051 रूपये जुर्माना का प्रावधान है।

2. सार्वजनिक स्थल एवं सामाजिक कार्यों में शराब पीकर अमर्यादित व्यवहार एवं शांति भंग करने वाले का 551 रूपये जुर्माना का प्रावधान है। यदि ऐसा कार्य किसी संगठन प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है तो रूपये 1001 रूपये जुर्माना का प्रावधान है साथ ही यदि वह पदाधिकारी पुनः गलती करते पाया जाता है तो संगठन की सदस्यता व पद से वंचित किया जायेगा।

3. बाजार में गोंड जनजाति के सदस्यों द्वारा शराब, लांदा, सल्फी एवं अन्य नशा पेय पदार्थों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

❑❑❑❑

अध्याय - 10

निष्कर्ष

गोंड जनजातीय समाज में व्यवस्था एवं नियंत्रण बनाये रखने हेतु अनेक नियम व प्रथागत कानून प्रचलित हैं। पूर्व में ग्राम व क्षेत्र में घटित अपराध का परंपरागत जाति पंचायत के माध्यम से निराकरण किया जाता था किंतु आधुनिक कानून व्यवस्था, पंचायती राज, प्रशासनिक व्यवस्था, आधुनिकता के कारण गोंड समाज के परंपरागत जाति पंचायत के प्रभाव में ह्रास होता गया। समाज के सदस्य कुछ मामलों को छोड़कर आधुनिक व्यवस्था पर निर्भर हो गये हैं। वर्तमान में परिवर्तित परिस्थिति के फलस्वरूप गोंड समाज के शिक्षित, जागरूक वरिष्ठ सदस्यों ने समाज की परंपरा, संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन व सतत् विकास के लिये सामाजिक–राजनीतिक संगठन का पुनर्गठन किया है। इस संगठन में परंपरागत आधार व आधुनिक परिप्रेक्ष्य का मेल करते हुये निम्न से उच्च स्तर तक श्रेणीकरण करते हुये क्षेत्रीयता पर आधारित पांच स्तरीय संगठन का निर्माण किया है। जिसमें प्रत्येक स्तर पर कार्यकारिणी व उनके कर्त्तव्य नियत हैं। समाज द्वारा प्रथागत कानून में परिस्थिति अनुरूप संशोधन करते हुये अधिक प्रभावी बनाया गया। इस प्रकार पूर्व से प्रचलित अलिखित प्रथागत कानून वर्तमान में संशोधन के साथ लिखित प्रथागत कानून बन गये हैं साथ ही वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में नये नियम–कानून बनाये गये हैं।

वर्तमान में गोंड जनजाति के कुछ परंपरागत नियम व रीति–रिवाज, प्रथागत कानून तथा आधुनिक कानून परस्पर विरोधाभासी दिखायी देते हैं। जिससे समाज के सामान्य नियमों या परंपरा का निर्वहन करना आधुनिक कानून की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आता है। जिससे समाज व शासन व्यवस्था के मध्य टकराव की स्थिति बन जाती है तथा समाज में असंतोष व्याप्त होता है। ऐसे कुछ दृष्टांत अधोलिखित हैं –

1. बहुपत्नी विवाह गोंड जनजाति में विशेष परिस्थिति में समाज द्वारा मान्य है किंतु आधुनिक विधि की दृष्टि में अपराध है।

2. गोंड जनजाति में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर दफनाने की प्रथा है किंतु यदि किसी बुजुर्ग के शव को दाह करते हैं तो परिवार के सदस्य प्रायश्चित स्वरूप "किस बुडाल" रस्म करते हैं, इसी प्रकार कुछ बुजुर्ग व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मृत्यु पश्चात् "बुडाल नेंग" किया जाय।इसमें मृतक की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाने के "कुंडा नेंग"के दिन बैल की बलि देते हैं। ऐसे में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत नियम का उल्लंघन होता है तथा शिकायत होने पर व्यक्ति या परिवार को कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।

3. गोंड जनजाति में अवर्षा की स्थिति में भीमा देव की पूजा करते हैं। भीमादेव को वर्षा तथा जड़ी–बूटी का देव माना जाता है। भीमा देव की जात्रा में बैल की बलि देते हैं। यह पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत नियम का उल्लंघन होता है तथा शिकायत होने पर ग्रामीणों को कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दैवीय परंपराओं के पालन में टकराव की स्थिति बन जाती है।

उपरोक्त कुछ दृष्टांत आदिम समाज के रीति–रिवाज व परंपराओं व आधुनिक समाज के कानून के मध्य टकराव को दर्शाते हैं। जो कि उचित प्रतीत नही होते हैं। इस हेतु समाज व आधुनिक विधि विशेषज्ञों के मध्य संवाद आवश्यक है। जिससे उपरोक्त समस्याओं का उचित समाधान या मध्य मार्ग निकल सके। गोंड जनजाति समाज अपनी परंपराओं, रीति–रिवाज व संस्कृति के पालन तथा संरक्षण हेतु सजग है। वे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त विशेष प्रावधान व उपबंध के अधिकारों का प्रयोग करते हुये संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण व विकास हेतु प्रयत्नशील है।

❑❑❑❑